रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1985/चैत्र 2, 1907
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1985/CHAITRA 2, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

का.आ. 1198.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों को उन अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 292 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ख) ऊपर उल्लिखित अपराध और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया कोई अन्य अपराध, या उनके संबंध में या उनसे संसक्त कोई प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्र ।

[संख्या 228/8/85-ए.वी.डी. (II)]

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 8th March, 1985

S.O. 1198.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) Offence punishable under section 292 of Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with the offence mentioned above, and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/8/85-AVD.II]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1985

आदेश

का.आ. 1199.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 147, 149, 307, 427 के अधीन दंडनीय

अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों के तथा मुख्यमंत्री, राजस्थान, के हैलीकोप्टर के अभिकथित नुकसान के बारे में पुलिस थाना, डीग, जिला भरतपुर, में मामला सं. 35/85, तारीख 20 फरवरी, 1985 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उद्भूत जैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[संख्या 228/6/85-ए वी डी-II-I]

New Delhi, the 13th March, 1985

ORDERS

S.O. 1199.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government of Rajasthan hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offences punishable under sections 147, 149, 307, 427 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to case No. 35/85, dated the 20th February 1985 registered at Police Station Deeg, District Bharatpur about the alleged damaging the Helicopter of the Chief Minister, Rajasthan.

[No. 228/6/85-AVD-II—I]

का.आ. 1200.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 147, 149, 307, 427 के अधीन दंडनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों के तथा उस मंच, जहां से मुख्य मंत्री, राजस्थान, को सार्वजनिक सभा को संबोधित करना था, के अभिकथित नुकसान के संबंध में, पुलिस थाना, डीग, जिला भरतपुर (राजस्थान) में रजिस्ट्रीकृत मामला सं. 34/85, तारीख 20 फरवरी, 1985 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है ।

[सं. 228/6/85-ए वी डी-II-II]

S.O. 1200.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Rajasthan hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offences punishable under sections 147, 149, 307, 427 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to case No. 34/85, dated the 20th Feb., 1985 registered at Police Station Deeg, District Bharatpur (Rajasthan), relating to the alleged damage to Rostrum from where the Chief Minister, Rajasthan, was to address the public meeting.

[No. 228/6/85-AVD-(II)]

का.आ. 1201.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 और 323 के अधीन दंडनीय अपराधों के और, उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों के तथा पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत उस अभिकथित मुठभेड़, जिसमें श्री मान सिंह, विधान सभा सदस्य मारे गये थे और दो अन्य व्यक्तियों की क्षति से मृत्यु हो गई थी, से संबंधित, पुलिस थाना, डीग, जिला भरतपुर (राजस्थान) में रजिस्ट्रीकृत मामला सं. 37/85, तारीख 21 फरवरी, 1985 के संबंध में वैसे ही तथ्यों से उद्भूत वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है ।

[सं. 228/6/85-ए वी डी-II-III]

एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव ।

S.O. 1201.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Rajasthan hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for the investigation of offences punishable under sections 147, 148, 149, 332, 353, 307 and 323 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to Case No. 37/85, dated the 21st Feb., 1985 registered at Police Station Deeg, District Bharatpur (Rajasthan) relating to the alleged encounter registered by the Police in which Sri Man Singh M.L.A. was killed and two others succumbed to injuries.

[No. 228/6/85-AVD.II(III)]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1985

(आय-कर)

का.आ. 1202.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि स्वयम् प्रकाश ईश्वर टेम्पल कट्टम्मानार कोइल, तमिलनाडु" को सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजास्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 6093/फा.सं. 176/64/84-आ.क. (नि.-I)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
New Delhi, the 2nd January, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1202.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Sri Swayam Prakasa Eswarar Temple, Kattummannar Koil, Tamil Nadu" to be a place of public, worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6093/F. No. 176/64/84-IT(AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 जून, 1984

(आयकर)

का. आ. 1203.—यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 23-3-1982 की अधिसूचना सं. 4529 (फा. सं. 187/28/81-आ.क. (नि.-1) के द्वारा बम्बई सिटी I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI तथा XII के आयकर आयुक्तों के समवर्ती क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (जांच), बम्बई को प्रदत्त किये हैं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 121 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त जिसका प्रधान कार्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में अकेले कार्यों का निर्वहण करेगा और बम्बई सिटी I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI तथा XII के आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा उल्लिखित मामलों अथवा मामला की श्रेणियों के संबंध में कार्य नहीं करेंगे ।

अनुसूची

आयकर आयुक्त	प्रधान-कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
जांच, बम्बई	बम्बई	(क) आयकर आयुक्त बम्बई सिटी I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI तथा XII के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण की सामान्य शक्तियां । (ख) आयकर आयुक्त, बम्बई सिटी I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X XI तथा XII के क्षेत्राधिकार में आने वाले सर्वेक्षण/वार्ड/परिमण्डल जिनमें बम्बई सिटी के आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है तथा जहां या तो आय का विवरण पहली बार दाखिल की गई है या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(2)/148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जाना है:— (i) कंपनी परिमंडल (ii) वेतन परिमंडल (iii) न्यास परिमंडल (iv) व्यावसायिक परिमंडल (v) एक्स वार्ड (vi) फिल्म परिमंडल (vii) बम्बई वापसी परिमंडल (viii) अनिवासी वापसी परिमंडल (ix) विदेशी कंपनी परिमंडल, तथा (x) विदेश अनुभाग । परन्तु आयकर आयुक्त (जांच) बम्बई का क्षेत्राधिकार सर्वेक्षण परिमंडलों/वार्डों के उन मामलों में 15-6-84 को या उसके बाद समाप्त हो जाएगा जहां 31-3-84 तक कम से कम एक कर निर्धारण पूरा हो गया है । ऐसे मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार यथावस्था, ऐसे मामलों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता आयकर आयुक्त बम्बई सिटी I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, तथा XII में निहित होगी: बशर्ते कि ऐसी विवरणियों पर से जिन्हें पहली बार 15-6-1984 को या उसके बाद दाखिल किया जाता है तथा जिनमें कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया है तथा/अथवा जिनमें धारा 139(2)/148 के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं किये गये हैं, कालम 1 में उल्लिखित आयकर आयुक्त जांच का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा । (ग) (i) सर्वेक्षण परिमंडल-I (ii) सर्वेक्षण परिमंडल-II (iii) कर निर्धारण परिमंडल-XI (iv) आयकर आयुक्त (जांच) बम्बई द्वारा धारा 124(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई अन्य परिमंडल ।

यह अधिसूचना 15-6-1984 से प्रभावी होगी ।

[सं. 5855/फा. सं. 187/17/84-आ. क. (नि.-I)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th June, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 1203.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes vide Notification No. 4529 (F. No. 187 28/81-IT(AI) dated 23-3-1982 have conferred on Commissioner of Income-tax, Investigation Bombay jurisdiction concurrent with those of the Commissioners of Income-tax, Bombay City-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI & XII, the Central Board of Direct Taxes in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 121, and in supersession of all earlier notifications issued in this regard here by directs that the Commissioner of Income-tax specified in column 1 of the Schedule hereto annexed with headquarters specified in column (2) thereof shall alone perform functions in respect of such cases or classes of cases as are referred to in column (3) of the said schedule and the Commissioners of Income tax, Bombay City-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI and XII shall not exercise functions over the cases of classes of cases as are referred to in column 3 of the said schedule.

SCHEDULE

Commissioner of Income-Tax	Headquarters	Jurisidiction
1	2	3
Investigation, Bombay.	Bombay	(a) General power of survey in respect of areas comprised in the jurisdiction of Commissioners, of Income-tax, Bombay City-I II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, and XII. (b) Survey Cards/Circles dealing with cases falling in the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Bombay City-I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI & XII in which no assessment has been made and where either a return of income has been filed for the first time or a notice under section 139(2)/ 148 of the Income-tax Act, 196 is issued or is to be issued, excluding those cases coming under the jurisdiction of following income-tax Circles/Wards/ Sections :— (i) Companies Circles, (ii) Salaries Circles, (iii) Trust Circle, (iv) Professional Circle, (v) X-Ward, (vi) Film Circle. (vii) Bombay Refund Circle, (viii) Non-Residents efund Circle (ix) Foreign Companies Circles, and (x) Foreign Section. Provided that the Commissioner of Income-tax (Investigation), Bombay, would cease to have jurisdiction on or after 15-5-1984 over cases of Survey Circles/ Wards where at least one assessment has been completed upto 15-5-1984. In respect of such cases jurisdiction would stand vested with the Commissioners, of Income-tax, Bombay City-I II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII as the cases may be having territorial jurisdiction in respect of such cases. Provided further that the jurisdiction over returns filed for the first time on or after 15-6-1984 and where no assessment has been made and/or where notices under section 139(2)/148 have not been issued will cases to lie with the C.I.T. (Inv.) mentioned in Column 1. (c) (i) Survey Circle-I, (ii) Survey Circle-II, (iii) Assessment Circle-XI, (iv) Any other circle created by the CIT(Inv.), Bombay, under the powers vested in him u/s. 124(1).

This notification comes into effect from 15-6-1984.

[No. 5855(F.No. 187/17/84-IT/AI)]

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

(आयकर)

का.आ. 1204—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23C) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 12-9-1984 की अपनी अधिसूचना सं. 5976 (फा. सं. 197-ए/27/82-आ.क. (नि०1) में निम्नलिखित शुद्धि करती है :—

"श्री राघवेन्द्रस्वामी भट्ट,
तुंगभद्रा (आंध्र प्रदेश)"

के स्थान पर

"श्री राघवेन्द्रस्वामी भट्ट,
मंत्रालय (आंध्र प्रदेश)"

पढ़ें

[सं. 6158/फा.सं. 197-ए/27/82-आ.क. (नि.1)]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th February, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1204.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following correction in its Notification No. 5976 (F.No. 197A/27/82-IT (AI), dated 12-9-84.

For

"Shri Raghavendraswamy Mutt, Tungabhadra (Andhra Pradesh)"

Read

"Shri Raghavendraswamy Mutt, Mantralayam (Andhra Pradesh)";

[No. 6158/F. No. 197-A/27/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1985

(आयकर)

का आ. 1205 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "दि इंस्टिट्यूट आफ फ्रांसिस्कन मिशनरीज आफ मेरी सोसाइटी नं. 10, कान्वेंट आफ अवर लेडी आफ वेलांगन्नी, थामसपुरम," को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6159/फा. सं. 197/161/82-आ. क. (नि. I)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th February, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1205.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Institute of Franciscan Missionaries of Mary Society No. 10, Convent of Our Lady of Velanganni, Thomaspuram" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 6159/F. No. 197/161/82-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली 17 जनवरी, 1985

(आयकर)

का. आ. 1206.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली एतद्द्वारा अपनी दिनांक 27-8-82 (फा. सं. 261/9/81-आ. क. न्या. की) अधिसूचना सं. 4881 से संलग्न अनुसूची में भूतलक्षी प्रभावों से निम्नलिखित संशोधन करता है।

अपीलीय सहायक आयुक्त-ख. रेंज, जबलपुर के सामने उक्त अनुसूची में स्तंभ सं. 2 के अंतर्गत क्रम सं. 5 पर विद्यमान प्रविष्टि, अर्थात् "आयकर अधिकारी, सर्वेक्षण परिमंडल, जबलपुर" को नीचे दिये अनुसार प्रतिस्थापित किया जायगा :—

"5. आयकर अधिकारी, ज वार्ड, जबलपुर।"

अपीलीय सहायक आयुक्त ख. रेंज, रायपुर के सामने उक्त अनुसूची में स्तंभ सं. 2 के अंतर्गत क्रम सं. 4 पर विद्यमान प्रविष्टि, अर्थात् "आयकर अधिकारी सर्वेक्षण परिमंडल, रायपुर" को नीचे दिये अनुसार प्रतिस्थापित किया जायगा :—

"4. आयकर अधिकारी, ज. वार्ड, रायपुर।"

यह अधिसूचना 1-12-1984 से प्रभावी होगी।

[सं. 6113/फा. सं. 261/1/85-आ. क. न्या.]

कल्याण चंद, अवर सचिव,

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th January, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1206.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in the behalf, the Central notifies "The Institute of Franciscan Missionaries of Mary ing retrospective amendment in the Schedule appended to its Notification No. 4881 dated 27-8-82 (F. No. 261/9/81-ITJ) :-

In the said Schedule against A.A.C. B-Range, Jabalpur the existing entry at S. No. 5 under Col. No. 2 viz. "ITO, Survey Circle, Jabalpur" shall be substituted as under :—

"5. I.T.O., H-Ward, Jabalpur."

In the said Schedule against A.A.C. B-Range, Raipur the existing entry at S No. 4 under Col. 2, viz. "I.T.O., Survey Circle, Raipur, shall be substituted as under :—

"4. I.T.O. H-Ward, Raipur."

This Notification shall take effect from 1-12-84.

[No. 6113/F. No. 261/1/85-ITJ]

KALYAN CHAND, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1985

आयकर

का० आ० 1207 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(1) यह कि ई.एफ.आई. सोशल एंड लेबर रिसर्च फाउन्डेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

(2) यह कि उक्त इंस्टिट्यूट उपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में

प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त इंस्टिट्यूट अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"ई.एफ.आई. सोशल एंड लेबर रिसर्च फाऊंडेशन, बम्बई"।

यह अधिसूचना 22 मार्च, 1984 से 21 मार्च, 1986 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6145/फा.सं. 203/256/83-आ.क.-नि. II]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th January, 1985

INCOME-TAX

S.O. 1207.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the EFI Social and Labour Research Foundation will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activties to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"EFI Social and Labour Research Foundation, Bombay."

This notification is effective for a period of two years from 22nd March, 1984 to 21st March, 1986.

[No. 6145/F. No. 203/256/83-IT-A II]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

(आयकर)

का.आ. 1208.—इस कार्यालय की दिनांक 7-7-82 की अधिसूचना सं. 4788 (फा. सं. 203/169/80-आ.क.नि. II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

1. यह कि कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया मद्रास प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगी तथा उनन्यतः उन्हें दिनांक 13-3-1982 के अपने पत्र सं. 11/2/82—कृ में यथा उल्लिखित सेंटर फार अप्लिकेशन आफ माइक्रो प्रोसेसर्स में अनुसंधान के लिए ही प्रयुक्त करेगी।

(2) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

"कृष्णा मूर्ति फाउन्डेशन इण्डिया, मद्रास"।

यह अधिसूचना 8/6/84 से 30/6/85 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6155/फा.सं. 203/213/84-आ.क-नि. II]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 16th February, 1985

INCOME-TAX

S.O. 1208.—In continuation of this Office Notification No. 4788 (F. No. 203/169/80-ITA.II) dated 7-7-82, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Tech notified for general information that the institution mentioned of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That Krishnamurti Foundation India, Madras will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences and solely apply them for research in Centre for application of Micro Processors as outlined in their letter No. 11/2/81 KRI, dated 13-3-82.

(ii) That the said Foundation will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Krishnamurti Foundation India, Madras.

This Notification is effective for a period from 8-6-84 to 30-6-85.

[No. 6155 (F. No. 203/213/84-ITA.II)]
GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1985

(आय-कर)

का.आ. 1209.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री सारंगपाणी स्वामी टेम्पल, कुम्बकोणम, तमिलनाडु" को सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 6161/फा. सं. 176/74/84-आ.क. नि. I]

New Delhi, the 22nd February, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1209.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Sarangapani Swamy Temple, Kumbakonam, Tamil Nadu" to be place of public worship renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6161/F. No. 176/74/84-IT(AI)]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1985

(आय-कर)

का.आ. 1210.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "डोहनावुर फैलोशिप" को कर-निर्धारण वर्ष 1983–84 से 1985–86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6167/फा. सं. 197/215/82-आ.क. (नि.-1)]
पी. सक्सेना, उप सचिव ।

New Delhi, the 1st March, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1210.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (V) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dohnavur Fellowship" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No .6167/F. No. 197/215/82-IT(AI)]
P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

आदेश

का.आ. 1211.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/149/84 सी० शु० 8 तारीख 6-8-1984 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री विजय आर. वाघानी, पुत्र स्वर्गवासी रामकिलाल लल्लूभाई वाघानी, 20, अलेक्जेन्डर कोर्ट, 60/1 चौरंगी रोड़ कलकत्ता को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी करवाने के लिए दुष्प्रेरित करने से निवारित करने की दृष्टि से प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता है ; और

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/149/84—सी.शु. VIII]

New Delhi, the 14th March, 1985

ORDERS

S.O. 1211.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/149/84-Cus. VIII, dated 6-8-1984 under the said sub-section directing that Shri Vijay R. Vaghani, son of Late Ramkilal Lallubhai Vaghani of 20, Alexander Court, 60/1, Chowringhee Road, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of power conferrd by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/149/84-Cus. VIII]

का.आ. 1212.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/150/84

सी शु. 8 तारीख 6-8-1984 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री दीपक आर. वाधानी उर्फ कुमार, पुत्र स्वर्गवासी रामकिलाल लल्लूभाई वाधानी, 41, अलेक्जेंडर कोर्ट, 60/1, चौरंगी रोड़ कलकत्ता को माल की तस्करी करने और माल की तस्करी करवाने के लिए दुष्प्रेरित करने से निवारित करने की दृष्टि से प्रेसीडेंसी जैल कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता है ; और

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[सं. फा. 673/150/84-सी. शु. VIII]

एम. जी. वेणुगोपालन, उप सचिव

S.O. 1212.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empoewered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/150/84-Cus. VIII dated 6-8-1984 under the said sub-section directing that Shri Dipak R. Vaghani Alias Kumar, Son of Late Ramkilal Lallubhai Vaghani of 41, Alexander Court, 60/1, Chowringhee Road, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from smuggling goods and abeting the smuggling of goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed; and

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/150/84-Cus. VIII]

M. G. VENUGOPALAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1985

आयकर

का. आ. 1213.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में श्री एल. टी. मखीजानी को कर वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्त करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 21 मई, 1984 की अधिसूचना सं. 5818 (फा. सं. 398/27/83-आ. का. (ब.) में जारी की गई अधिसूचना को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं. 6125/फा. सं. 398/36/84-आ. क. (ब)]

New Delhi, the 4th February, 1985

INCOME-TAX

S.O. 1213.—The notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5818 (F. No. 398/27/83-IT(B) dated the 21st May, 1984, in pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) appointing Shri L. T. Makhijani as Tax Recovery Officer is hereby cancelled.

[No. 6125/F. No. 398/36/84-IT(B)]

का. आ. 1214.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते श्री एल० टी. मखीजानी को 15/7/83 से 14/5/84 तक केन्द्र सरकार भूत प्रभावी प्राधिकार देती है।

[सं. 6127/फा. सं. 398/36/84-आ. क. (ब)]

S.O. 1214.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), ex-post-facto authorisation of the Central Government is hereby conveyed to Shri L. T. Makhijani being a Gazetted Officer of Central Government to the exercise of the powers of a Tax Recovery Officer under said Act from 15-7-83 to 14-5-84.

[No. 6127/F. No. 398/36/84-IT(B)]

का. आ. 1215.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में नीचे स्तम्भ 2 में वर्णित व्यक्तियों को जो कि केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक के नामके सामने दी गयी अवधि के लिए भूत प्रभावी अप्राधिकार सूचित किया जाता है :—

क्रम सं.	कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम	अवधि जिसमें प्राधिकार का संबंध है
1.	सर्वश्री एस. आर. बिजानी	4/6/82 से 22/4/83
2.	डब्ल्यू. एम. पठानी	15/7/83 से 22/8/83
3.	के. एन. जठानी	2/9/83 से 31/12/83
4.	एस. एस. भोसले	30/8/82 से 14/5/84
5.	एन. सुब्रमण्यन्	26/5/82 से 3/10/83
6.	बी. चेल्लाप्पन	27/7/82 से 14/5/84

[सं० 6129/फा० सं० 398/36/84-आ०क० (ब)]

S.O. 1215.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), ex-post-facto authorisation of the Central Government is hereby conveyed to the persons mentioned below in column 2 being Gazetted Officers of Central Government, to the exercise of the powers of Tax Recovery Officers under the said Act for the periods mentioned against each :—

S.N.	Name of the persons authorised to exercise powers of TROs.	Periods for which the authorisation relates
1	2	3
1.	S/Shri S.R.Bijani	from 4-6-82 to 22-4-83
2.	W.M. Pathai	from 15-7-83 to 22-8-83
3.	K.N. Jathani	from 2-9-83 to 31-12-83
4.	S.S. Bhosale	from 30-8-82 to 14-5-84
5.	N.Subramanian	from 26-5-82 to 30-10-83
6.	B. Chellappan	from 27-7-82 to 14-5-84

[No. 6129/F. No. 398/84/-IT(B)]

का. आ. 1216.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो कि केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, नीचे स्तम्भ 3 में दी गई तारीख (तारीखों) से केन्द्रीय सरकार का भूत प्रभावी प्राधिकार एतद्द्वारा सूचित किया गया है :—

क्रम सं.	कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	जिस तारीख से कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया
1	2	3
1.	सर्व/श्री एन. ए. काजी	14-5-1984
2.	एस. आर. तांबे	यथोपरि
3.	वी. बी. काले	यथोपरि
4.	के. पी. डी. नायर	यथोपरि
5.	जी. टी. हेमनानी	यथोपरि
6.	एच. एम. वचानी	यथोपरि
7.	नूर अहमद	यथोपरि
8.	आर. बी. सीतलानी	16-8-34
9.	के. प्रसन्नान	यथोपरि
10.	के. पी. त्रिपाठी	यथोपरि
11.	आर. ए. वैशम्पायन	यथोपरि
12.	एस. डी. सबनीस	यथोपरि
13.	डी. एच. शाहनी	यथोपरि
14.	राम जयराम	14-8-84
15.	एस. जे. वैंगनकर	3-9-84
16.	डी. वी. काटे	यथोपरि
17.	ए. के. दास	यथोपरि
18.	श्रीमती एम. सी. पारेख	यथोपरि
19.	श्री एस. आर. बीर	यथोपरि
20.	श्रीमती ए. डी. तेरेदेसाई	26-5-82
21.	कु. पी. एस. इदनानी	6-10-83
22.	सर्व/श्री आर. के. कोसांबिया	15-7-83
23.	डी. पी. मालवीय	18-7-83
24.	आर. डी. परेरा	यथोपरि
25.	मनोज मिश्र	29-10-83

[सं. 6131/फा. सं. 398/36/84-आ. क. (ब.)]

S.O. 1216.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), ex-post-facto authorisation of the Central Government is hereby conveyed to the persons mentioned below in Column 2 being Gazetted Officres of Central Government, to exercise of the power of a Tax Recovery Officer under the said Act from the date(s) mentioned in Column 3 below :—

S. No.	Name of the person authorised to exercise the powers of TROs	Date from which the persons authorised to exercise the powers of TROs
1	2	3
1.	S/Shri N.A. Kazi	14-5-1984
2.	S.R. Tambe	—do—
3.	V.B. Kale	—do—
4.	K.P.D. Nair	—do—
5.	G.T. Hemani	do—
6.	H.M. Bachani	—do—
7.	Noor Ahmed	—do—
8.	R.B. Sitlani	16-8-1984
9.	K. Prasannan	—do—
10.	K. P. Tripathi	—do—
11.	R.A. Vaishampayan	—do—
12.	S.D. Sabnis	—do—
13.	D.H. Shahaney	—do—
14.	Ram Jai Ram	14-8-1984
15.	S.J. Waingankar	3-9-1984
16.	D.V. Kate	—do—
17.	A.K. Das	—do—
18.	Mrs. M.C. Parakh	—do—
19.	Shri S.R. Veer	—do—
20.	Shri A.D. Taradesai	26-5-1982
21.	Mrs. P.S. Idnani	6-10-1983
22.	Shri P.K. Kosambia	15-7-1983
23.	D.P. Malviya	18-7-1983
24.	R.D. Pareira	—do—
25.	Manoj Mishra	29-10-1983

[No. 6131/F. No. 398/36/84-IT(B)]

शुद्धि-पत्र

आयकर

का. आ. 1217.—दिनांक 21-5-1984 की अधिसूचना सं. 5830/(फा. सं. 398/27/83-आ. क. (ब) में दिये गये नाम "श्री ए. के. थडानी" को "श्रीमती ए. के. थडानी" पढ़िए।

[सं० 6133/फा० सं० 398/36/84-आ०क० (ब)]

बी. ई. अलैक्जैंडर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

S.O. 1217.—The name "Shri A. K. Thadani" appearing in the Notification No. 5830 [F. No. 398/27/83-IT(B)] dated 21-5-1984 may be read as "Smt. A. K. Thadani".

[No. 6133/F. No. 398/36/84-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1985

का. आ. 1218.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा श्री आर. वी. माधव राव प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम को 25 मार्च, 1985 से प्रारम्भ होने वाली और 23 नवम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली और अवधि के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में पुनः नामित करती है।

[संख्या एफ. 6/9/82-बी. ओ.-I]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 4th March, 1985

S.O. 1218.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby renominates Shri R. V. Madhava Rao, Managing Director, General Insurance Corporation of India as a Director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a further period commencing from the 25th March, 1985 and ending with the 23rd November, 1985.

[No. F. 6/9/82-BO.I]

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1985

का.आ. 1219.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी. मुरारी, अपर सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली को श्री एस.एल. कपूर के स्थान पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ. 7-9-85-बी.ओ.-I]

New Delhi, the 11th March, 1985

S.O. 1219.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government hereby nominates Shri P. Murari, Additional Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi as a Director of the Industrial Finance Corporation of India vice Shri S. L. Kapur.

[No. F. 7/9/85-BO.I]

का.आ. 1220.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 11 जुलाई, 1983 अधिसूचना संख्या एफ. 7/5/83-बी.ओ.-I(1) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. वेंकिटरमणन, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 7/6/85-बी.ओ.-1(1)]

S.O. 1220.—In pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 7/5/83-BO I (1) dated 11th July, 1983, the Central Government hereby nominates Shri S. Venkitaramanan, Finance Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi to be a Director on the Central Board of the Reserve Bank of India.

[No. F. 7/6/85-BO.I(1)]

का.आ. 1221.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उपधारा 1) के खण्ड (क) के उपखंड (i) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. वेंकिटरमणन, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को श्री पी.के. कौल के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में मनोनीत करती है।

[संख्या 7/6/85-बी.ओ.-I(2)]

S.O. 1221.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri S. Venkitaramanan, Finance Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Board of Directors of Export-Import Bank of India vice Shri P. K. Kaul.

[No. F. 7/6/85-BO.I(2)]

का.आ. 1222.—औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली में सचिव (बैंकिंग) और मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. विमल जालान को श्री पी.के. कौल के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है।

[संख्या एफ. 7/6/85-बी.ओ.-I(3)]

एस.एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 1222.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Dr. Bimal Jalan, Secretary (Banking) and Chief Economic Advisor in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as the Director of the Industrial Development Bank of India vice Shri P. K. Kaul.

[No. F. 7/6/85-BO.I(3)]

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1985

का. आ. 1223.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 1987 तक विजय कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट पर लागू नहीं होंगे।

[एफ. सं. 8-1/85/ए. सी.]
अमर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 1985

S.O. 1223.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Vijay Commercial Co-operative Bank Ltd., Rajkot, for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India to 30th June, 1987.

[F. No. 8-1/85-AC]
AMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

का. आ. 1224.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और कारपोरेशन बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम चिकमगलूर-कोडागू ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से चिकमगलूर-कोडागू ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनको अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में अनर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :— यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ. 12-5/85-आर आर बी (1)]

New Delhi, the 28th February, 1985

S.O. 1224.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Corporation Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgen meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (I)]

का. आ. 1225 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ़ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम गिरिडिहि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक " से गिरिडिहि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार को, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण हुई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :— यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वत : स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसको प्रविष्ट की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ 12-5/85-आर आर बी (2)]

S.O. 1225.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Giridih Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Giridih Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting

and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (2)]

का. आ. 1216.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों, के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :— अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन में बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :— (1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजना के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :— यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वत: स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख की उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 12-5/85-आर. आर. बी. (3)]

S.O. 1226.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank (Meeting of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board my decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (3)]

का.आ. 1227.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और देना बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) 'बैंक' से साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या : एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन : अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान : बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चिय करें।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची : (1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। (ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना

तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह को लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन : (1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन : यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश–दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वेतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10 परिचालन द्वारा कारबार : (1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है । (2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अंतर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखाबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिए अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख : (1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जाएगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जायेगा तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा । और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के कार्यवृत्त जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखें जाएंगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[फ. एफ 12-5/85-आर आर बी (4)]

S.O. 1227.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Dena Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sabarkantha-Gandhinagar Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Sabarkantha-Gandhinagar Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be be given to each director.

7 Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (4)]

का. आ. 1228—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केनरा बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम सह्याद्री ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से सह्याद्री ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :— एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :— अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :— बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :— (1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिये प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :- (1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिये कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलाएगा।

(2) इस मांग का उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थान :- यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :- (1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अंतर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :-(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्तारित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं. एफ 12-5/85-आरआरबी(5)]

S.O. 1228.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and canara Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sahyadri Gramcena Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Sabyadri Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned sent notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directiors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Boaid on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (5)]

का. आ. 1229—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हिसार – सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से हिसार– सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :– एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :– अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :– बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :– (1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिये प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिये अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :– (1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिये कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिये अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :– यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिये, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :– (1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :– (1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. 12–5/85– आर आर बी (6)]

S.O. 1229.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hissar-Sirsa Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Hissar-Sirsa Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12—5/85-RRB (6)]

का. आ. 1230.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सिंडिकेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम नेत्रवती ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से नेत्रवती ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किसी अन्य कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा माना ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया है) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रतिलिपि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ. 12-5/85-आर. आर. बी. (7)]

S.O. 1230.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Netravati Grameena Bank (Meeting of Board) rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise reuires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Netravati Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a):—The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, than the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place:—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

1672GI/84—4

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1)(a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(7)]

का. आ. 1231.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सिंडिकेट बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम वराडा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—;

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से वराडा ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन —अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं देदी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन —यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षारित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के बाद् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के ये कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ. 12-5/85-आर.आर.बी. (8)]

S.O. 1231.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Varada Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publi-

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Varada Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1)(a).—The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(8)]

का. आ. 1232—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 23) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1)(क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षारित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जाएंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ-12-5/85/आरआरबी (9)]

S.O. 1232.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Saurashtra, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Junagad Amreli Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Junagad Amreli Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a).—The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day, which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necesary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a).—The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB (9)]

का.आ. 1233.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो , उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम के सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक की हर पृष्ठ, यथास्थिति अध्यक्ष अथवा निदेशक जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के

अधिवेशन को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ 12-5/85-आर. आर. बी-(10)]

S.O. 1233.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and United Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Murshidabad Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Murshidabad Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board :—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings :—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business .—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board .—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum .—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulaion.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business .—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(10)]

का.आ. 1234 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :— एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अंतर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षारित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा-शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जाएंगे, उनसे अभिलिखित कार्य-वाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ० 12—5/85—आर आर बी (11)]

S.O. 1234.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hazaribagh Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Hazaribagh Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board :—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings :—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meetings :—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum :—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business :—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(II)]

का.आ. 1235—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है ।

(ख) "बैंक" से इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है ।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा ।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे ।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी ।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायगी ।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है ।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी ।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा ।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है ।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा ।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी ।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11- कारबार के अभिलेख :- (1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा । (ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसको प्रविष्ट की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ० 12-5/85-आर. आर. बी(12)]

S.O. 1235.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board :—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings :—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board .—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum .—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business .—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(12)]

का. आ. 1236:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम पाटिलपुत्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से पाटिलपुत्र ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन को अध्यक्षता की हो द्वारा आद्याक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसको प्रविष्ट की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ० 12-5/85-आर. आर. बी (13)]

S.O. 1236.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Patliputra Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Patliputra Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meaings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board :—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings :—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board .—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meetings :—A quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum .—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day, which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are sent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business .—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceeding recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(13)]

का.आ. 1237—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणत: कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गई है।

(2) यदि बोर्ड का आपत अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने में अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-

दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वत: स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थिति रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं० एफ० 12-5/85 आरआरबी (14)]

S.O. 1237.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and New Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ambala Kurukshetra Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Ambala Kurukshetra Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meaning, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board :—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings :—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board :—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meetings :—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum —If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business .—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(14)]

का.आ. 1238:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : —(1) इन नियमों का नाम यवतमाल ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा : —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से यवतमाल ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या : —एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन : —अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान : —बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची : —(1) (क) बोर्ड के प्रत्यक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन : —(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन : — यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वत. स्थगित हो जायेगा ।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ ।

10. परिचालन द्वारा कारबार : —(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है (2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो ।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों ।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा ।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा ।

11. कारबार के अभिलेख : —(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा ।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी ।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी ।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख का अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसका प्रविष्टि की जायेगी ।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे ।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे ।

[सं. एफ. 12-5/85-आरआरबी (15)]

S.O. 1238.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Yavatmal Gramin Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Yavatmal Gramin Bank

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board .—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meeting :—The meetings of the board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along-with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board —(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four dicectors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting .—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act, any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum :—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation :—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record

11. Records of business .—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who preside at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(15)]

का.आ. 1239:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम गोलकंडा ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से गोलकंडा ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिमूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन :—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार :—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस ख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख :—(1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों को कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं. एफ. 12-5/85-आर आर बी (16)]

S.O. 1239.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Hyderabad hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Golconda Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Golconda Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board .—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings :—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Vanue of the meetings :—The meetings of the board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business :—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated along with the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board .—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisiton shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting .—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum :—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :—

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want or quorum, the Chairman shall before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation :—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of Papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was sigend by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business :—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12-5/85-RRB(16)]

का.आ.1240.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम श्रीराम ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन,) नियम 1985 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से श्रीराम ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी अन्य ऐसे स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशनों की सूचना तथा कारबार की सूची :—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होगी :

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

9. गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन : — यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा :

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार : —(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानों ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उसी तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख : (1) (क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायें।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रखे जायेंगे, उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं. एफ. 12-5/85-आर आर बी (17)]

ष. वा. मीरचंदानी, निदेशक

S.O. 1240.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Hyderabad hereby makes the following rules, namely):—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Srirama Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976),

(b) "bank" means the Srirama Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified area as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of

the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where, it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not latter than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher :

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum, the Chairman shall, before the date of which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chaiman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by ciruclation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialed or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 11 5 85 RRB(17)]
C. W. MIRCHANDANI, Director

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, मध्य प्रदेश

इंदौर, 1 जनवरी, 1985

अधिसूचना सं. 12/84

का. आ. 1241.—अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (च.श्रे.) ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों को अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिये हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री		
1.	आर.पी. मुरगन	अधीक्षक, रेंज-iv (भिलाई)	19-10-84 (पूर्वाह्न)
2.	एन.डी. बसन्दानी	अधीक्षक, रेंज-V इंदौर	16-10-84 (पूर्वाह्न)
3.	डी. वी. सिंह	अधीक्षक, रेंज, कुम्हारी	16-11-84 (पूर्वाह्न)
4.	एस. के. राव	अधीक्षक (लेखा-परीक्षा), मुख्य कार्यालय, इंदौर	3-12-84 (अपराह्न)

[प. सं. II(3) 5-गोप/84]

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE COLLECTORATE HEADQUARTERS

(Madhya Pradesh)

Indore, the 1st January, 1985

NOTIFICATION No. 12/1984

S.O. 1241.—Consequent upon their promotion as Superintendent Central Excise, Group 'B' the following Inspectors of Central Excise (S.G.) have assumed their charges as Superintendent, Central Excise, Group 'B' with effect from the date as shown against each :—

S. No.	Name of the Officer	Place of Posting	Date of Assumption of Charges
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	R. P. Murgan	Superintendent, Range-IV, Bhilai.	19-10-84(FN)
2.	N.D. Basandani	Superintendent, Range-V, Indore.	16-10-84(FN)
3.	D.V. Singh	Superintendent, Range, Kumhari.	16-11-84(FN)
4.	S.K. Rao	Superintendent (Audit), Hqrs.Office Indore.	3-12-84(AN)

[C. No. II(3) 5-Con/84]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय, मध्य प्रदेश

इन्दौर, 28 फरवरी, 1985

अधिसूचना सं. 2/85

का.आ. 1242.—अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समूह 'ख' के पद पर पदोन्नत होने पर श्री एस.सी. दुबे, निरीक्षक, केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क (च.श्रे.) ने अधीक्षक, (लेखा परीक्षा), केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, मुख्य कार्यालय, इन्दौर के पद पर दिनांक 22/12/84 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिये हैं।

[प.सं. II(3) 5-गोप/84/1131]

एस० के० धर, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M. P.

Indore, the 28th February, 1985

NOTIFICATION NO. 2/85

S.O. 1242.—Consequent upon his promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B', Shri S. C. Dubey, Inspector, Central Excise (S.G.) has assumed charge as Superintendent (Audit), Central Excise, Hqrs. Office, Indore on 22-12-84 (FN).

[C. No. II (3)5-Con/84/1131]

S. K. DHAR, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1985

का.आ. 1243.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 में संशोधन करने के लिए और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मेंढक की प्रशीतित टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1984 में—

(1) नियम 3 में—शीर्षक "ध. निरीक्षण की प्रक्रिया" के अंतर्गत, पैरा (1), उप-पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) इन नियमों के अधीन निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, एक कोड एक नियंत्रण यूनिट का गठन करेगा";

(2) उपाबंध-II में—(क) मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1, मेंढक की टांगें दो प्रकार की होंगी, अर्थात्:—

(i) हल्का गुलाबी और धूरे सहित सफेद या दंत सफेद (ii) नीला,

(ख) उप-पैरा, (ii) में—"एफ.ई.एल" जहां कहीं भी लागू हो "एफ.एफ.एल" जहां कहीं भी लागू हो" पढ़ा जाएगा।

[मिसिल सं. 6(10)/77-ई आई एण्ड ई पी]

एन. एस. हरिहरन, निदेशक

पाद टिप्पण:—

का.आ. 1890 तारीख 9-6-1979

का.आ. 92 तारीख 14-1-1984

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd March, 1985

S.O. 1243.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frozen Froglegs (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 namely :—

1. (1) These rules may be called the export of Frozen Froglegs (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1985;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Frozen Froglegs (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1984.—

(1) in rule 3, under the heading "D. Procedure of Inspection," in paragraph (i), for sub-paragraph (a) the following shall be substituted, namely :—

"(a) For the purpose of inspection under these rules, one code shall constitute a control unit";

(2) In Annexure-II.—(a) in item 1, for the brackets, letters and words "(ii) light blue" the brackets, letters and word "(ii) blue" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (ii), for the letters "FEL" the letters "FFL" shall be substituted.

[F. No. 6(10)/77-EI&EP]

N. S. HARIHARAN, Director

Foot Note :

S.O. 1890 dated 9-6-1979.

S.O. 92 dated 14-1-1984.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

मद्रास, 5 दिसम्बर, 1984

आदेश

विषय : सर्वश्री पी. एम. मीरा हुसेइन एण्ड कंपनी, 150, वेपेरी हाई रोड, मद्रास-3 को बफ काफ स्किन्स के 30,360 टुकड़े को निर्यात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या 020437 दिनांक 9-5-1984 की रद्दीकरण आदेश।

का. आ. 1244.—सर्वश्री पी. एम. मीरा हुसेइन एण्ड कंपनी, 150, वेपेरी हाई रोड, मद्रास-3 को बफ काफ स्किन्स के 30,360 टुकड़े को निर्यात करने लाइसेंस संख्या 020437 दिनांक 9-5-1984 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने

उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इसलिए आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस मर्वश्री भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, मद्रास से पंजीकृत करवाये बिना खो दी गयी है अथवा अस्थानस्थ हो गयी है। बफ काफ स्किन्स के 30,360 टुकड़े की निर्यात के लिए अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने अधिवक्ता शपथ-अधिकारी, मद्रास तथा जन लेख्य प्रमाणक, सेलम के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि बफ काफ स्किन्स के 30,360 टुकड़े के मूल लाइसेंस संख्या 020437 दिनांक 9-5-1984, भारतीय राज्य व्यापार निगम, मद्रास ने पंजीकृत करवाये बिना खो दी गयी है अथवा अस्थानस्थ हो गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को अनुलिपि प्रति जारी किया जाए। लाइसेंस संख्या 020437 दिनांक 9-5-1984 की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[फा. सं. डी आर/977/ईडीसी]

डी. एस. नरसिंहैया, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
Madras, the 5th December, 1984

ORDER

Subject : Order of cancellation of licence No. 020437 dated 9-5-1981 for export of 30,360 pieces of Buff Calf Skins issued in favour of M/s. P. M. Meera Hussain & Co., 150, Vepery High Road, Madras-3.

S.O. 1244.—M/s. P. M. Meera Hussain & Co., 150, Vepery High Road, Madras-3 were granted a licence No. 020437 dated 9-5-1984 for export of 30,360 pieces of Buff Calf Skins. They have applied for duplicate copy of licence as the original is stated to have been lost/misplaced, without registering with M/s. State Trading Corporation of India Ltd., Madras. The quantity for which the duplicate copy has been applied for is 30,360 pieces of Buff Calf Skins.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before the Advocate, Commissioner for Oaths, Madras and Notary, Salem.

I am satisfied that the original licence No. 020437 dated 9-5-1984 for 30,360 pieces of Buff Calf Skins has been lost misplaced without registering with the State Trading Corporation of India Ltd., Madras and a duplicate copy of the licence is being issued to the applicant. The original licence No. 020437 dated 9-5-1984 is hereby cancelled.

[F. No. DR/977/EDC]
D. S. NARASIMHIAH, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Joint Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

का.आ. 1245.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 5क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अधिकारी समूह 'क' गोहाटी को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 108 की उपधारा 1क के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 5/2/84-सी.एल-V]
ए० एम० चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 14th March, 1985

S.O. 1245.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 5A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, the Central Government hereby appoints the Income-tax Officer, Group 'A', Gauhati, as the prescribed authority for the purposes of clause (a) of sub-section (1A) of section 108 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

[File No. 5/2/84-CL. V]
A. M. CHAKRABORTI, Dy. Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1985

का. आ० 1246.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/83/84 तारीख 10 मई, 1984 का निरीक्षण सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में या जिला मजिस्ट्रेट, ढेन कनाल (उड़ीसा) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को भेजेगा ।

अनुसूची

ब्राह्मणी ब्लाक

तालचर कोलफील्ड (उड़ीसा)

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्र. सं०	ग्राम	थाना	उपमंडल	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पद्मावतीपुर	कोलियरी तालचर	तालचर	34	धेन कनाल	43.13	भाग
2.	राकास	,,	,,	92	,,	294.50	भाग
3.	अलहदानगर	,,	,,	93	,,	293.00	भाग
4.	बृन्दाबनपुर	,,	,,	94	,,	104.65	सम्पूर्ण
5.	यदुनाथपुर	,,	,,	103	,,	160.00	भाग
6.	त्रिलोचनपुर	,,	,,	104	,,	27.00	सम्पूर्ण
7.	कान्धाल	,,	,,	105	,,	1464.00	सम्पूर्ण
8.	मानिकमरा	,,	,,	110	,,	30.00	भाग
9.	कान्कील	,,	,,	119	,,	130.00	भाग
10.	स्काटलैंडपुर	,,	,,	132	,,	55.00	भाग
11.	विद्याधरपुर	,,	,,	135	,,	71.00	सम्पूर्ण
12.	रासोलपुर	,,	,,	136	,,	12.00	सम्पूर्ण
13.	बनमालीपुर	,,	,,	137	,,	57.00	सम्पूर्ण
14.	दशरथीपुर	,,	,,	138	,,	8.00	भाग
15.	जेंगुटिया	,,	,,	139	,,	26.00	भाग
16.	तालबेडा	,,	,,	140	,,	217.00	भाग
17.	एकादशीपुर	,,	,,	141	,,	151.00	सम्पूर्ण
18.	दयानिधिपुर	,,	,,	142	,,	25.00	भाग
19.	डब्लीन	,,	,,	143	,,	91.00	सम्पूर्ण
20.	दुलारपुर	,,	,,	145	,,	30.00	सम्पूर्ण
21.	आनन्दपुर	,,	,,	146	,,	52.77	सम्पूर्ण
22.	बालुंगा खामर	,,	,,	147	,,	273.00	भाग
23.	मदनमोहनपुर	,,	,,	148	,,	200.00	भाग
24.	अनादिपुर	,,	,,	149	,,	152.00	सम्पूर्ण
25.	नरहरिपुर	,,	,,	150	,,	540.00	सम्पूर्ण
26.	जिलिठ	,,	,,	151	,,	646.00	सम्पूर्ण
27.	खांडुअल बहाल	,,	,,	152	,,	93.00	सम्पूर्ण
28.	हंसमूल	,,	,,	153	,,	954.00	भाग
29.	अम्बामुंडा	,,	,,	154	,,	45.00	भाग
30.	नकुलबासपुर	,,	,,	155	,,	16.00	भाग
31.	लोंगीजोडा	,,	,,	156	,,	65.00	भाग
32.	बालुंगा रायती	,,	,,	158	,,	5.00	भाग
33.	मानिक गोडा	,,	,,	तालचेर नंगर पालिका	,,	3.00	भाग

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	कान्धाल	कोलियरी तालचर	तालचर	—	धेंकनाल	105.00	भाग
35.	पतुरिया	,,	,,	—	,,	28.00	भाग
36.	कृत्तिवासपुर	,,	,,	—	,,	50.00	सम्पूर्ण
37.	कृष्णाचन्द्रपुर	,,	,,	144	,,	93.00	सम्पूर्ण
38.	प्रमोद प्रसाद	,,	,,	134	,,	70.00	भाग

कुल क्षेत्र : 6635.05 एकड़ (लगभग)
या
2685.07 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :—

क–ख रेखा पद्मावतीपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और "ख" बिन्दु पर मिलती है।

ख–ग रेखा पद्मावतीपुर, राकास, अल्हदानगर, हंसमूला ग्रामों से होकर जाती है और "ग" बिन्दु पर मिलती है।

ग–घ–ङ रेखा, हंसमूला, अम्बामुंडा, नकुलवासपुर, लौगीगोडा, बालुंगा रायती, बालुंगा खामर, तालाबेडा, गेंगुटिया ग्रामों से होकर जाती है और "ङ" बिन्दु पर मिलती है।

ङ–च रेखा गेंगुटिया, मानिक गोडा, तालबेडा, दशरथी ग्रामों से (जो देउलबरा कोलियरी की सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) होकर जाती है और "च" बिन्दु पर मिलती है।

च–छ रेखा दशरथी, प्रमोद प्रसाद, स्कॉटलेंडपुर, कांकिल ग्रामो से होकर जाती है और "छ" बिन्दु पर मिलती है।

छ–ज रेखा कांकिल, दयानिधिपुर, मानिकमारा, यतुरिया (आर. एफ.), कान्धाल (आर. एफ.) और यदुनाथपुर ग्रामों से होकर जाती है और "ज" बिन्दु पर मिलती है।

ज–क रेखा वंगरुजोरा की केन्द्रीय रेखा के भाग के साथ-साथ (जो यदुनाथपुर ग्राम की पूर्वी सीमा और नरहरिपुर, जिलिंदा, खांडुअल-चहल, हंसमूला, अल्हदानगर, वृन्दावनपुर, राकस और पद्मावतीपुर ग्रामों की उत्तरी सीमा भी है) जाती है "क" बिन्दु पर मिलती है।

[सं. 43019/15/84-सी. ए.]

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL
(Department of Coal)
New Delhi, the 2nd March, 1985

S. O. 1246.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acqusition an Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/83/84 dated the 10th May, 1984 of the area covered by this notification can by inspected at the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or at the Office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

BRAHMANI BLOCK
TALCHER COALFIELD (ORISSA)
Lands notified for prospecting

Serial No.	Village	Police Station	Sub-Division	Thana number	District	Area	Remarks
1	2	3	4		5	6	
1.	Padmabatipur	Colliory Talcher	Talcher	34	Dhenkanal	43.13	Part
2.	Rakas	,,	,,	92	,,	294.50	Part
3.	Alhadanagar	,,	,,	93	,,	293.00	Part

1	2	3	4	5	6
4. Brundabanpur	Colliery Talchar	Talcher	94	Dhanbad	104.65 Full
5. Jadunathpur	"	"	103	"	160.00 Part
6. Trilochanpur		"	104	"	27.00 Full
7. Kandhal		"	105	"	1464.00 Full
8. Manikamara		"	110	"	30.00 Part
9. Kankil		"	119	"	130.00 Part
10. Scotlandpur		"	132	"	55.00 Part
11. Bidyadharpur		"	135	"	71.00 Full
12. Rasolapur		"	136	"	12.00 Full
13. Banamalipur		"	137	"	57.00 Full
14. Dasarathipur		"	138	"	8.00 Part
15. Gengutia		"	139	"	26.00 Part
16. Talabeda		"	140	"	217.00 Part
17. Ekadasipur		"	141	"	151.00 Full
18. Dayanidhipur		"	142	"	25.00 Part
19. Dublinc		"	143	"	91.00 Full
20. Dullarapur		"	145	"	30.00 Full
21. Anandapur		"	146	"	52.77 Full
22. Balunga Khamar		"	147	"	273.00 Part
23. Madan Mohanpur		"	148	"	200.00 Full
24. Anadipur		"	149	"	152.00 Full
25. Naraharipur		"	150	"	540.00 Full
26. Jillinda		"	151	"	646.00 Full
27. Khandual Bahal		"	152	"	93.00 Full
28. Hensamula		"	153	"	945.00 Part
29. Ambamunda		"	154	"	45.00 Part
30. Nakulbasapur		"	155	"	16.00 Part
31. Longijoda		"	156	"	65.00 Part
32. Balunga Rayati		"	158	"	5.00 Part
33. Manikagoda		"	Talcher Municipality		3.00 Part
34. Kandhal (R. F.)		"	..	"	105.00 Part
35. Paturia (R.F.)		"	..	"	28.00 Part
36. Krutibaspur		"	..	"	50.00 Full
37. Krushna Chandrapur		"	144	"	93.00 Full
38. Pramoda Prasad	"	"	134	"	70.00 Part

Total area : 6635.05 acres (approximately)
or 2685.07 hectares (")

Boundary description :

A—B line passes along the part western boundary of village Padmabatipur and meets at point 'B'.

B—C line passes through villages Padmabatipur, Rakas, Alhada Nagar, Hensamula and meets at point 'C'.

C—D—E lines pass through villages Hensamula, Ambamunda, Nakulbasapur, Longijoda, Baluriga Rayati, Balunga Khamar, Talabeda, Gengutia and meet at point 'E'.

E—F line passes through villages Gengutia, Manikagoda, Talabeda, Dasarathipur (which also forms part common boundary with Deulbera Colliery) and meets at point 'F'.

F—G line passes through villages Dasarathipur, Pramoda Prasad, Scotlandpur, Kankil and meets at point 'G'.

G—H line passes through villages Kankil, Dayanidhipur, Manikamara, Paturia (R. F.), Kandhala (R.F.) and Jadunathpur and meets at point 'H'.

H—A line passes along the part Central line of Bangaru Jore (which are also eastern boundary of village Jadunathpur and northern boundary of villages Naraharipur, Jillinda, Khandual Bahal, Hensamula, Alhadanagar, Brundabanpur, Rakas and Padmatipur) and meets at point 'A'.

[No. 43019/15/84-CA]

का. आ. 1247.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 मार्च, 1983 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1564 तारीख 1 मार्च, 1983 द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में तथा इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 2230.00 हैक्टर (लगभग) या 5510.33 एकड़ (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और, उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई थी ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मार्च, 1985 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है।

अनुसूची

पथखेड़ा पश्चिमी ब्लाक सं. 1

पथखेड़ा कोलफील्ड्स

जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)

क्रम सं.	ग्राम	पुलिस चौकी सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर	टिप्पणियां
1.	शोभापुर	23	बैतल	बैतूल	100.00	भाग
2.	छत्तरपुर	23	बैतूल	बैतूल	1202.00	सम्पूर्ण
3.	केरिया उमरी	23	बैतूल	बैतूल	620.00	सम्पूर्ण
4.	सालैय्या	24	बैतूल	बैतूल	110.00	भाग
5.	बोगडोना	23	बैतूल	बैतूल	195.00	भाग
6.	एम. पी. ई. बी.	—	बैतूल	बैतूल	3.00	भाग
				कुल क्षेत्र :	2230.00 हैक्टर (लगभग)	
				या	5510.33 एकड़ (लगभग)	

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा, ग्राम बागडोनो से होकर एम पी ई बी की रेल साइडिंग भूमि की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा, ग्राम बागडोना और आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और फिर ग्राम बागडोना से होकर जाती है और ग्राम छत्तरपुर और बागडोना की सम्मिलित सीमा पर बिंदु "ग" पर मिलती है।

ग–घ रेखा, ग्राम छत्तरपुर और बागडोना की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और ग्राम बागडोना और शोभापुर की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–ङ–च रेखा, कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित पथखेड़ा ब्लाक 111 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है, देखिए अधिसूचना का० आ० सं. 2017 तारीख 9 सितम्बर 1978 और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च–छ–ज–झ रेखा, तवा नदी की मध्य रेखा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ– ञ रेखा, ग्राम केरिया उमरी और आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ञ" पर मिलती है।

क–ट–ठ–ड रेखा, ग्राम केरिया उमरी और सालैय्या की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और ग्राम सालैय्या तथा बागडोना में से होकर आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 19/79/82-सी. एल./सी ए]

S.O. 1247 - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy , (Department of Coal) No. S.O 1564 dated the 1st March, 1983 under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) published in Part-II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 19th March, 1983, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 2230.00 hectares (approximately) or 5510.33 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the Schedule hereto annexed;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (i) of Section (7) of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (i) of section 7, of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 18th March, 1985 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE
PATHAKHERA WESTERN BLOCK NO. I
PATHAKHERA COALFIELD
DISTRICT BETUL (MADHYA PRADESH)

Sl. No.	Village	P.C. No.	Tehsil	District	Aras in hectares	Romarks
1.	Sobhapur	23	Betul	Betul	100.00	Part
2.	Chhattarpur	23	Betul	Betul	1202.00	Full
3.	Keria Umri	23	Betul	Betul	670.00	Full
4.	Salaiya	24	Betul	Betul	110.00	Part
5.	Bagdona	23	Betul	Betul	195.00	Part
6.	M.P.E.B.	..	Betul	Betul	3.00	Part

Total Area : 2230. 00 hectares (approximately)
OR 5510.33 acres (approximately).

BOUNDARY DESCRIPTION:

A—B Line passes through village Bagdona along southern boundary of MPEB's railway siding land and meets at point 'B'.

B—C Line passes partly along the common boundary of village Bagdona and reserve forest and again passes through village Bagdona and meets at common boundary of villages Chhattarpur and Bagdona at point 'C'.

C—D Line passes partly along the common boundary of villages Chhattarpur and Bagdona and partly along the common boundary of villages Bagdona and Shobhapur and meets at point 'D'.

D—E—F Line passes along the western and northern boundary of Pathakhera Block III acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide notification S.O.No. 2017 dated the 9th September, 1978 and meets at point 'F'.

F—G—H—I Line passes along the central line of River Tawa and meets at point 'I'.

p—J Line passes along the common boundary of village Keria-Umari and reserve forest and meets at point 'J'

J—K—L—M—A Line passes partly along the common boundary of villages Keria-Umri and Salaiya and proceeds through villages Salaiya and Bagdona and meets at the starting point 'A'.

[No. 19/79/82-CL/CA]

का. आ. 1248.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/90/84 दिनांक 19 मई, 1984 का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में या कलक्टर, सीधी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1 काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अनुभाग, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., दरभंगा हाउस, रांची को भेजेगा ।

अनुसूची
बिनौली ब्लाक
सिंगरौली कोलफील्ड्स
जिला सीधी (मध्य प्रदेश)

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि :

क्रम. सं.	ग्राम	तहसील	तहसील सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिनौला	सिंगरौली	170	सीधी	205.00	भाग
3.	इटवा	,,	,,	,,	105.00	भाग

1	2	3	4	5	6	7
3.	घोरौली कला	सिंगरौली	170	सीधी	75.00	भाग
4.	घोरौली खुर्द	,,	,,	,,	45.00	भाग
5.	नवा नगर	,,	,,	,,	25.00	भाग
6.	माजन कला	,,	,,	,,	230.00	ाग
7.	माजन खुर्द	,,	,,	,,	180.00	भाग
8.	कचनी	,,	,,	,,	460.00	ाग
9.	नौगढ़	,,	,,	,,	205.00	ाग
10.	अमलौरी	,,	,,	,,	145.00	भाग
11.	पारासौना	,,	,,	,,	375.00	भाग
12.	पडानिया	,,	,,	,,	87.91	सम्पूर्ण
13.	देवारी	,,	,,	,,	349.22	सम्पूर्ण
14.	जिनाहर	,,	,,	,,	140.00	भाग
15.	राजबंध	,,	,,	,,	75.00	भाग
16.	लूरो	,,	,,	,,	102.00	भाग
17.	काजन	,,	,,	,,	307.00	भाग
18.	गोदाहरा	,,	,,	,,	588.40	सम्पूर्ण
19.	पोडो नौगई	,,	,,	,,	946.23	सम्पूर्ण
20.	राजा सराय	,,	,,	,,	514.20	सम्पूर्ण
21.	ठेकी	,,	,,	,,	193.71	सम्पूर्ण
22.	तेलदह	,,	,,	,,	235.00	भाग
23.	दिनघो	,,	,,	,,	478.03	सम्पूर्ण
24.	पिपराज पापी	,,	,,	,,	995.00	सम्पूर्ण
25.	बघेला	,,	,,	,,	340.00	सम्पूण
26.	पंचखोरा	,,	,,	,,	185.00	भाग
27.	गडासा	,,	,,	,,	510.00	भाग

कुल क्षेत्र 8096.70 एकड़ (लगभग)
या 3276.57 हेक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :—

क-ख रेखा, तेलदह, गडासा और पिपराज पापी ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा, पिपराज पापी और बघेला ग्रामों से होकर जाती है और बघेला, पोड़ो नौगाई ग्रामों की दक्षिणी सीमा के भाग के साथ-साथ चलकर बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, काजन, लूरो, राजबंध, जिनाहर, परसौना, कचनी, माजन खुर्द, पंचखोरा ग्रामों से होकर ढेकी ग्राम की दक्षिणी और पूर्वी सीमा के साथ-साथ और बिनौली ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, बिनौली ग्राम की भागत: पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च रेखा, बिनौली, इटवा, घोरौली कला, घरौली खुर्द और नवानगर अर्थात् (निघई ब्लाक की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ) जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ-ज रेखा, नवानगर, माजन कला, कचनी, नौगढ़ और अमलौरी ग्रामों से होकर (अर्थात् अमलौरी ब्लाक की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ) जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज-झ रेखा, नदी को मध्य रेखा के साथ-साथ (अर्थात् अमलौरी ग्राम की दक्षिणी सीमा के भाग के और चोकरा ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जो मुहर ब्लाक की सम्मिलित सीमा का भाग भी बनाती है) जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ-क रेखा नदी की मध्य रेखा के भाग के साथ-साथ होकर पोड़ी नौगाई, राजा सराय की उत्तरी सीमा और तेलदह ग्राम के भाग के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43019/25/84-सी. ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

S.O. 1248.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the schedule hereto annexed ;

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1947), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan No. Rev/80/84 dated the 19th May, 1984 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfiels Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or at the Office of the Collector, Sidhi (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Section, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 day from the date of the publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

BINAULI BLOCK

Singrauli Coalfield

District Sidhi (Madhya Pradesh)

Lands notified for prospecting

Sl. No.	Village	Tehsil	Teshsil No.	District	Area	Remarks
1		2	3	4	5	6
1.	Binauli	Singrauli	170	Sidhi	205.00	Part
2.	Itwa	"	"	"	105.00	Part
3.	Ghorauli Kala	"	"	"	75.00	Part
4.	Ghorauli Khurd	"	"	"	45.00	Part
5.	Nawa Nagar	"	"	"	25.00	Part
6.	Majan Kala	"	"	"	230.00	Part
7.	Majan Khurd	"	"	"	180.00	Part
8.	Kachani	"	"	"	460.00	Part
9.	Naugarh	"	"	"	205.00	Part
10.	Amlori	"	"	"	145.00	Part
11.	Parasauna	"	"	"	375.00	Part
12.	Padaniya	"	"	"	87.91	Full
13.	Dewari	"	"	"	349.22	Full
14.	Jinahar	"	"	"	140.00	Part
15.	Rajbandh	"	"	"	75.00	Part
16.	Luri	"	"	"	102.00	Part
17.	Kajan	"	"	"	307.00	Part
18.	Godahara	"	"	"	588.40	Full
19.	Podi Naugai	"	"	"	946.23	Full
20.	Raja Sarai	"	"	"	514.20	Full
21.	Dheki	"	"	"	193.71	Full
22.	Teldah	"	"	"	235.00	Part
23.	Digghi	"	"	"	478.03	Full
24	Piparaj Papi	"	"	"	995.00	Full
25.	Bughela	"	"	"	340.00	Full
26.	Pachkhora	"	"	"	185.00	Part
27.	Gadasa	"	"	"	510.00	Part
		Total Area			8096.70 acres (approximately or 3276.57 hectars (approximately)	

BOUNDARY DESCRIPTION

A—B line passes through villages Teldah, Gadasa and Piparajpapi and meets at point 'B'.

B—C line passes through villages Piparajpapi and Bughela and passes along the part Southern boundary of villages Bughel , Podi Naugai and meets at point 'C'.

C—D line passes through villages Kajan, Luri, Rajbandh, Jinahar, Parasauna, Kachani, Majan Khurd, Panchkhora, along the southern and Eastern bounary of village Dheki and along, southern boundary of village binauli and meets at point 'D'

D—E line passes along the part eastern boundary of village Binauli and meets at point 'E'.

E—F line passes through villages Binauli, Itwa, Ghorauli Kala, Ghorauli Khurd and Nawa Nagar, i.e. (along part common boundary of Nighani Block) and meet at point 'F'.

F—H—G lines pass through villages Nawa Nagar, Majan Kala, Kachani, Naugarh and Amlori (i.e. along part common bounadry of Amlori Block) and meets at point 'H'

H—I line passes along the Central line of the River (i.e. along the part Southern bounary of village Amlori and Southern boundary of Village Chokra (which forms also part common boundary of Muher Block) and meets at point 'I'.

I.A line passes along the part central line of the River (along northern boundary of village Podi Naugai, Rajasarai and part of village Teldah and meets at starting 'point' 'A'.

[No. 43019/25/84-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1985

का. आ. 1249 :—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ब-58/ब, अलीगंज लखनऊ-226020 यू. प. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बि. बि. बि.	
बरेली	औवला	बलिया	टण्डा-श्यामपुर	788	0–4–16	
				787	0–6–0	
				785	0–10–16	
				784	0–0–6	
				778	0–0–10	
				775	0–1–4	
				773	0–12–0	
				767	0–4–4	
				766	0–16–16	
				765	0–1–5	
				764	0–1–10	
				763	0–3–12	

[सं. O–14016/152/85–जी. पी.]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 13th February, 1985

S.O. 1249.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil ad Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barelly Jagdishpur Pipe line Project.

Dist	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Barelly	Awala	Baliya	Donta shyam pur	788	0-4-16	
				787	0-6-0	
				785	0-10-16	
				784	0-0-6	
				778	0-0-10	
				775	0-1	
				773	0-12-0	
				767	0-4-4	
				766	0-16-16	
				765	0-1-5	
				764	0-1-10	
				763	0-3-12	

[No. O-14016/152/85-GP]

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1985

का. आ. 1250 :—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा–बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाईप लाईन 15, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना, की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—वर्या तहसील—राघोगढ़ जिला—गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	12	0.178
2.	14	0.010
3.	16	0.052
4.	17	0.021
5.	18	0.324
6	20	0.073
7.	29	0.300
8.	38	0.031
9.	39	0.073
10	43	0.088
11.	45	0.273
12.	46	0.409
13	140	0.157
14.	144	0.209
15.	145	0.167
16.	146	0.343
17.	191	0.031
18.	205	0.438
19.	209	0.031
20	210	0.531
21.	215	0.179
22.	216	0.083
23.	217	0.361
24	218	0.606
25.	225	0.031
26.	44	0.011
27	142	0.011
28.	37	0.021
29.	13	0.011
30.	5	0.011
31.	42	0.031
32.	24	0.031
	योग : —कुल क्षेत्रफल	5.126

[सं. O-14016/143/85-जी पी.]

New Delhi, the 12th March, 1985

S.O. 1250.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village—Varya Tehsil—Raghogarh Distt.—Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hec.
1.	12	0.178
2.	14	0.010
3.	16	0.052
4.	17	0.021
5.	18	0.324
6.	20	0.073
7.	29	0.300
8.	38	0.031
9.	39	0.073
10.	43	0.088
11.	45	0.273
12.	46	0.409
13.	140	0.157
14.	144	0.209
15.	145	0.167
16.	146	0.343
17.	191	0.031
18.	205	0.438
19.	209	0.031
20.	210	0.531
21.	215	0.179
22.	216	0.083
23.	217	0.361
24.	218	0.606
25.	225	0.031
26.	44	0.011
27.	142	0.011
28.	37	0.021
29.	13	0.011
30.	5	0.011
31.	42	0.031
32.	24	0.031
	TOTAL AREA	5.126

[No. O-14016/143/85-GP]

का. आ. 1251.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक

गैस आयोग, एच.बी.जे. पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत — से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम-बहुराखेड़ी तहसील-राघोगढ़, जिला-गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

क्रम. सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	63	0.021
2.	129	0.282
3.	149	0.035
4	151	0.105
5.	155	0.010
6.	156	0.010
7.	157	0.157
8.	158	0.334
9.	159	0.052
10.	163	0.052
11.	164	0.063
12.	165	0.083
13.	166	0.031
14	167	0.418
15	189	0.063
16.	199	0.021
17	200	0.188
18.	201	0.052
19	202	0.031
20.	203	0.021
21.	205	0.105
22.	206/1	0.063
23.	206/2	0.052
24	207 में से	0.042
25	207 "	0.042
26.	207 "	0.010
27.	208	0.335
28.	209	0.470
29.	211	0.107
30.	215	0.550
31.	232	0.157
32.	235	0.428
33.	236	0.157
34.	238	0.052
35.	239	0.052
36	240	0.366
37.	191	0.042
	योग :—कुल क्षेत्रफल	5.059

[सं. O-14016/144/85-जीपी]

S.O. 1251.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village-Vahurakhedi Tehsil-Raghogarh Distt.-Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hec.
1.	63	0.021
2.	129	0.282
3.	149	0.035
4.	151	0.105
5.	155	0.010
6.	156	0.10
7	157	0.157
8.	158	0.334
9.	159	0.052
10.	163	0.052
11.	164	0.063
12.	165	0.083
13.	166	0.031
14.	167	0.418
15.	189	0.063
16.	199	0.021
17.	200	0.188
18.	201	0.052
19.	202	0.031
20.	203	0.021
21.	205	0.105
22.	206/1	0.063
23.	206/2	0.052
24.	207 M.S.	0.042
25.	207 M.S.	0.042
26.	207 M.S.	0.010
27.	208	0.335
28.	209	0.470
29.	211	0.107
30.	215	0.550
31.	232	0.157
32.	235	0.428
33.	236	0.157
34.	238	0.052
35.	239	0.052
36.	240	0.366
37.	191	0.042
	TOTAL AREA	5.059

[No. O-14016/144/85-GP]

का.आ. 1252 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाईन 45, सुभाष नगर, सांवेर रोड, उज्जैन 456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति, विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम कोटरा : तहसील राघोगढ़ : जिला–गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	9	0.209
2	10	0.105
3.	11	0.127
4.	15/1	0.052
5.	16	0.141
6.	17	0.271
7.	18	0.345
8.	22	0.031
9.	23	0 637
10.	34	0.370
11.	37	0.219
12.	39	0.081
13.	8	0.261
	योग :—कुल क्षेत्रफल	2.849

[सं. O-14016/145/85-जीपी]

S.O. 1252.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barielly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kotara Tehsil Raghogarh Distt. Guna

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	9	0.209
2.	10	0.105
3.	11	0.127
4.	15/1	0.052
5.	16	0.141
6.	17	0.271
7.	18	0.345
8.	22	0.031
9.	23	0.637
10.	34	0.370
11.	37	0.219
12.	39	0.081
13.	8	0.261
	TOTAL AREA :	2.849

[No. O-14016/145/-85-GP]

का.आ. 1253 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन 456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बेटावर्री : तहसील राघोगढ़ : जिला गुना : राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	1/5	0.314
2.	1/6	0.031
	योग :—कुल क्षेत्रफल	0.345

[सं. 0-14016-146/85-जीपी]

S.O. 1253.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares line 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.);

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission H.B.J. Gas Pipeline 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Chetawari : Tehsil Raghogarh : Distt. Guna

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	1/5	0.314
2.	1/6	0.031
	TOTAL AREA :	0.345

[No. O-14016/146/85-GP]

का. आ. 1254.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर तक गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
फरुखाबाद	छिबरामऊ	तालग्राम	चियासर	1026	1	87	
				1023	1	37	
				1014	–	23	
				1012	–	22	
				1013	–	21	
				1010	–	15	
				1002	–	28	
				1001	–	25	
				1000	–	21	
				1005	–	09	
				999	–	03	
				902	–	16	
				901	–	17	
				897	–	28	
				898	–	21	
				896	–	10	
				917	–	60	
				854	–	03	
				853	–	08	
				852	–	17	
				851	–	40	
				850	–	22	
				846	–	50	
				846	–	04	
				849	–	40	
				848	–	26	
				833	–	01	
				834	–	03	
				843	–	03	
				842	–	15	
				841	–	05	
				1003	–	01	

[सं. O–14016/147/85 ज.प.]

S.O. 1254.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipeline from HAJIRA-BAREILLY—JAGDISHPUR Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	AREA Acd.	Disl.	Remarks
Farru-khabad	Chhib-ramil	Talgram	Chiasar	1026	1	87	
				1023	1	37	
				1014	—	23	
				1012	..	22	
				1013	..	21	
				1010	..	15	
				1002	..	28	
				1001	..	25	
				1000	..	21	
				1005	..	09	
				999	..	03	
				902	..	16	
				901	..	17	
				897	..	28	
				898	..	21	
				896	—	10	
				917	—	60	
				854	—	03	
				853	—	08	
				852	—	17	
				851	—	40	
				850	—	22	
				846	—	50	
				847	—	04	
				849	—	40	
				848	—	26	
				833	—	01	
				834	—	03	
				843	—	15	
				842	—	15	
				841		05	
				1003	—	01	

[No. O—14016/147/85-GP]

[illegible] Central Government

का. आ. 1255 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल एकड़े	डिस.	विवरण
फरुखा-बाद	सदर फरुखा-बाद	परमन-नगर	सिया	12	—	18	
				13	1	32	
				24	—	01	
				25	—	01	
				28	1	10	
				48	—	16	
				49	—	60	
				50	—	24	
				51	—	01	
				53	—	45	
				54	—	30	
				65	—	01	
				99	1	20	
				100	0	02	
				101	—	96	
				102	—	35	
				133	—	04	
				205	—	54	
				208	—	01	
				211	—	45	
				216	—	59	
				217	—	42	
				232	—	01	
				238	1	71	
				241	—	01	
				244	—	50	
				245	—	04	
				246	—	87	
				247	—	02	
				30	—	51	

[सं. O-14016/148/85-जी. पी.]

S.O. 1255.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner. ...

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Disl.	Remark
Farrukhabad	Sadar (Farrukhabad)	Param Nagar	Siya	12	—	18	
				13	1	32	
				24	—	01	
				25	—	01	
				28	1	10	
				48	—	16	
				49	—	60	
				50	—	24	
				51	—	01	
				53	—	45	
				54	—	30	
				55	—	01	
				99	1	20	
				100	—	02	
				101	—	96	
				102	—	35	
				133	—	04	
				205	—	54	
				208	—	01	
				211	—	45	
				216	—	59	
				217	—	42	
				232	—	01	
				238	1	71	
				241	—	01	
				244	—	50	
				245	—	04	
				246	—	87	
				247	—	02	
				30	—	51	

[No. O—14016/148/85-GP]

का. आ. 1256 यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58 / बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	बल्लिया	कटका भरट	128	0-18-10	
				127	0-2-16	
				131	0-8-8	
				132	0-7-10	
				133	0-2-10	
				124	0-0-12	
				139	0-7-5	
				137	0-9-12	
				136	0-0-10	
				135	0-0-5	
				145	0-0-18	
				146	0-5-0	
				147	0-4-16	
				148/1	0-2-16	
				148/2	0-7-5	
				129	0-1-4	
				116	0-0-12	
				143	0-0-12	
				140	0-0-12	

[सं. O- 14016/149/85—जी. पी.]

S.O. 1256.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project, B-18/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner. ...

SCHEDULE

Hajira Bareilly Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
Bareilly	Awala	Baliya	Katka-Bharat	128	0-18-10	
				127	0-2-16	

1	2	3	4	5	6	7
				131	0-8-8	
				132	0-7-10	
				133	0-2-10	
				124	0-0-12	
				139	0-7-5	
				137	0-9-12	
				136	0-0-10	
				135	0-0-5	
				145	0-0-18	
				146	0-5-0	
				147	0-4-16	
				148/1	0-2-16	
				148/2	0-7-5	
				129	0-1-4	
				116	0-0-12	
				143	0-0-12	
				140	0-0-12	

[No. O-14016/149/85-GP]

का. आ. 1257.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	सैदपुर एतमाली		बी. बि. बि.	
				1	1-8-10	
				2	0-3-0	
				3	0-10-0	
				4	0-3-5	

[सं. O-14016/150/85-जी. पी.)]

S.O. 1257.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed here.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project, B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pergana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Barrily	Fareedpur	Fared pur	Saidpur Aitmali	1	1-8-10	
				2	0-3-0	
				3	0-10-0	
				4	0-3-5	

No. O-[14016/150/85-GP]

का. आ. 1258.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ- 229020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	बलिया	गहर्गी		बी. बि. बि.	
				282	0-1-10	
				281	0-8-8	
				280	0-12-0	

1	2	3	4	5	6	7
				278	0-4-16	
				277	0-0-10	
				276	0-0-8	
				261	0-4-16	
				44	0-1-10	
				42	0-0-16	
				41	0-2-16	
				40	0-2-8	
				18	0-12-12	
				19	0-6-12	
				20	0-8-0	
				21	0-9-12	
				22	0-8-16	
				23	0-2-0	
				24	0-1-16	
				25	0-2-8	
				26	0-3-4	
				30	0-2-8	
				31	0-3-0	
				32	0-5-12	
				35	0-6-0	
				36	0-1-4	
				38	0-15-12	

[सं.O—14016/151/85-जी.पी.]

S.O. 1258.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barelly Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Barelly	Awala	Balliya	Gaharra	282	01-10	
				281	0-8-8	
				280	0-12-0	
				278	0-4-16	
				277	0-0-10	
				276	0-0-8	
				261	0-4-16	
				44	0-1-10	
				42	0-0-16	
				41	0-2-16	
				40	0-2-8	
				18	0-12-12	
				19	0-6-12	
				20	0-8-0	
				21	0-9-12	
				22	0-8-16	
				23	0-2-0	
				24	0-1-16	
				25	0-2-8	
				26	0-3-4	
				30	0-2-8	
				31	0-3-0	
				32	0-5-12	
				35	0-6-0	
				36	0-1-4	
				38	0-15-12	

[No. O-14016/151/85-GP]

का. आ. 1259.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आवला	बल्लिया	रामपुर		बी.बि.बि.	
			कांकर	18	0-1-5	
				24	0-4-10	
				25	0-1-5	
				48	0-9-0	
				49	0-12-0	
				52	0-7-5	
				50	0-9-0	
				55	0-1-5	
				58	0-1-15	
				54	0-12-0	
				59	0-18-5	
				70	0-19-5	
				68	0-1-15	

2	3	4	5	6	7
			69	0-12-5	
			67	0-2-2	
			72	0-1-5	
			549	0-5-10	
			550	0-17-0	
			543	0-1-5	
			545	0-12-15	
			66	0-0-15	
			548	0-0-15	
			544	0-1-5	
			521	0-16-8	
			522	0-2-6	
			520	0-1-0	
			513	0-9-5	
			511	0-5-10	
			515	0-0-10	
			514	0-14-0	
			516	1-2-15	
			510	0-0-5	
			506	0-0-5	
			508	0-1-8	
			466	0-4-0	
			611	0-1-5	
			467	0-4-5	
			468	0-1-5	
			482	0-0-15	
			488	1-4-0	
			487	0-15-0	
			486	0-1-2	
			485	0-6-0	
			481	0-0-15	
			479	0-6-0	
			463	0-7-0	
			345 /835	0-9-5	
			345 /836	0-7-10	
			345/841	0-0-10	
			385	0-7-0	
			391	0-1-15	
			386	0-2-15	
			384	0-0-10	
			379	0-12-0	
			378	0-0-5	
			377	0-0-15	
			354	0-5-5	
			353	0-15-10	
			347	0-10-2	
			346	0-4-0	
			304	0-0-10	
			303	0-5-15	
			302	0-7-15	
			301	0-2-5	
			306	1-11-4	
			307	0-15-12	

[सं. O-14016/153/85-जी पी]

S.O. 1259.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Baliya	Rampur kanker	18	0–1–5	
				24	0–4–10	
				25	0–1–5	
				48	0–9–0	
				49	0–12–0	
				52	0–7–5	
				50	0–9–0	
				55	0–1–5	
				58	0–1–15	
				54	0–12–0	
				59	0–18–5	
				70	0–19–5	
				68	0–1–15	
				69	0–12–5	
				67	0–2–2	
				72	0–1–5	
				549	0–5–10	
				550	0–17–0	
				543	0–1–5	
				545	0–12–15	
				66	0–0–15	
				548	0–015	
				554	0–1–5	
				521	0–16–8	
				522	0–2–6	
				520	0–1–0	
				513	0–9–5	
				511	0–5–10	
				515	0–0–10	
				514	0–14–0	
				516	1–2–15	
				510	0–0–5	
				506	0–0–5	
				508	0–1–8	
				466	0–4–0	
				611	0–1–5	

1	2	3	4	5	6	7
				467	0–4–5	
				468	0–1–5	
				482	0–0–15	
				488	1–4–0	
				487	0–15–0	
				486	0–1–2	
				485	0–6–0	
				481	0–0–15	
				479	0–6–0	
				463	0–7–0	
				345/835	0–9–5	
				345/836	0–7–10	
				345/841	0–0–10	
				385	0–7–0	
				391	0–1–15	
				386	0–2–15	
				384	0–0–10	
				379	0–12–0	
				378	0–0–5	
				377	0–0–15	
				354	0–5–5	
				353	0–15–10	
				347	0–10–2	
				346	0–4–0	
				304	0–0–10	
				303	0–5–15	
				302	0–7–15	
				301	0–2–5	
				306	1–11–4	
				307	0–15–12	

[No. O-14016/153/85—GP]

का. आ. 1260:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी- 58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	बल्लिया	नौरंगपुर		बी.बि.बि.	
				764	1-8-0	
				765	0-12-16	
				766	0-1-15	
				761	1-4-9	
				762	0-1-4	
				769	0-1-11	
				770	0-1-4	
				775	0-13-16	
				776	0-0-18	
				1005	0-0-18	
				1006	0-0-10	
				1007	0-0-10	
				1004	1-5-8	
				1003	0-18-10	
				1001	0-13-16	
				1002	0-1-4	
				1027	0-0-12	
				1028	0-7-14	
				1029	0-0-15	
				1030	0-0-12	
				1031	0-9-15	
				1035	1-10-0	
				1050	0-9-12	
				1051	0-13-16	
				1100	1-0-8	
				1096	0-7-7	
				1099	0-0-6	
				1097	0-10-16	
				1116	0-2-8	
				1136	0-13-8	
				1136		
				———	0-7-2	
				1134		
				1138	0-1-10	

[सं.O-14016/154/85 जी. पी.]

S.O. 1260.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object

to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

istt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3.	4	5	6	7
Barelly	Awala	Baliya	Nau-rangpur	764	1-8-0	
				765	0-12-16	
				766	0-1-15	
				761	1-4-9	
				762	0-1-4	
				769	0-1-11	
				770	0-1-4	
				775	0-13-16	
				776	0-0-18	
				1005	0-0-18	
				1006	0-0-10	
				1007	0-0-10	
				1004	1-5-8	
				1003	0-18-10	
				1001	0-13-16	
				1002	0-1-4	
				1027	0-0-12	
				1028	0-7-14	
				1029	0-0-15	
				1030	0-0-12	
				1031	0-9-15	
				1035	1-10-0	
				1050	0-9-12	
				1091	0-13-16	
				1100	1-0-8	
				1096	0-7-4	
				1099	0-0-6	
				1097	0-10-16	
				1116	0-2-8	
				1136	0-13-8	
				1136		
				1134	0-7-2	
				1138	0-1-10	

[No. O-14016/154/85-GP]

का. आ. 1261.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	9	7
बरेली	आंवला	सन्हा	नौगांव ठकुरान	950	बी बी बि. 0-1-7	
				958	0-2-12	
				959	0-15-0	
				984	0-1-4	
				983	0-11-4	
				982	0-10-0	
				981	0-1-0	
				995	1-13-0	
				991	0-0-12	
				1003	0-19-4	
				1009	1-5-15	
				1011	0-1-12	
				1010	0-14-16	
				1008	0-18-0	
				1016	0-1-4	
				1031	0-10-16	
				1023	0-6-15	
				1024	0-10-0	
				1025	0-2-5	
				1028	0-3-0	
				1029	0-5-0	
				1032	0-2-0	

[सं. O-14016/155/85-जी.पी.]

S.O. 1261.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Sanha	Naugawa Thakaram	950	0-1-7	
				958	0-2-12	
				959	0-15-0	
				984	0-1-4	
				983	0-11-4	
				982	0-10-0	
				981	0-1-0	
				995	1-13-0	
				991	0-0-12	
				1003	0-19-4	
				1009	1-5-15	
				1011	0-1-12	
				1010	0-14-16	
				1008	0-18-0	
				1016	0-1-4	
				1031	0-10-16	
				1023	0-6-15	
				1024	0-10-0	
				1025	0-2-5	
				1028	0-3-0	
				1029	0-5-0	
				1032	0-2-0	

[No. O-14016/155/85—G P.]

का.आ. 1262.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली —जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतयः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा- बरेली,-- जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	सन्हा	जमालपुर		वि वि. वि.	
				2	0-4-0	
				3	0-1-16	
				14	0-4-0	
				15	0-5-10	
				20/2	0-1-15	
				21	0-3-10	
				19	0-11-16	
				23	0-3-0	
				105	0-5-0	
				106	0-3-15	
				107	0-19-0	
				109	0-12-0	
				110	0-10-16	
				111	0-9-12	
				112	0-0-2	
				114	0-1-12	
				22	0-0-10	
				120	1-4-0	
				121	0-8-0	
				125	0-2-0	
				155	1-0-8	
				156	0-9-18	
				158	0-16-4	
				159	0-16-0	
				162	0-3-0	

[सं. O-14016/156/85—जी. पी.]

S.O. 1262.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aligarh, Lucknow-226020 P P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Samha	Jamalpur	2	0-4-0	
				3	0-1-16	
				14	0-4-0	
				15	0-5-10	
				20/2	0-1-15	
				21	0-3-10	
				19	0-11-16	
				23	0-3-0	
				105	0-5-0	

1	2	3	4	5	6	7
				106	0-3-15	
				107	0-19-0	
				109	0-12-0	
				110	0-10-16	
				111	0-9-12	
				112	0-0-2	
				114	0-1-12	
				22	0-0-10	
				120	1-4-0	
				121	0-8-0	
				125	0-2-0	
				155	1-0-8	
				156	0-9-18	
				158	0-16-4	
				159	0-16-0	
				162	0-3-0	

[No. O-14016/156/85—GP]

का. आ. 1263.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजारा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइनें भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत : अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
					बा.वि.वि.	
बरेली	आंवला	सन्हा	नकटपुर	12	0- 1-8	
				13	0-13-9	
				14	0-14-8	
				15	0-12-0	
				16	0-16-4	
				17	0-0-16	
				21	2-0-17	
				24	0-1-12	
				19	0-7-0	
				20	0-0-9	
				98	0-10-19	
				76	0-1-2	
				96	0-16-5	
				95	0-3-5	
				97	0-3-12	
				96/184	0-0-18	
				105	2-0-10	
				100	0-2-15	
				101	1-6-10	
				102	0-6-0	
				104	0-0-5	
				103	0-11-0	
				176	0-0-12	
				178	0-10-18	

[सं० O-14016/157/85—जी०पी०]

S.O. 1263.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.I., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner. ...

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Sanha	Nakatpur	12	0-1-8	
				13	0-13-9	
				14	0-14-8	
				15	0-12-0	
				16	0-16-4	
				17	0-0-16	
				21	2-0-17	
				24	0-1-12	
				19	0-7-0	
				20	0-0-9	
				98	0-10-19	
				76	0-1-2	
				96	0-16-5	
				95	0-3-5	
				97	0-3-12	
				96/184	0-0-18	
				105	2-0-10	
				100	0-2-15	
				101	1-6-10	

1	2	3	4	5	6	7
				102	0-6-0	
				104	0-0-5	
				103	0-11-0	
				176	0-0-12	
				178	0-10-18	

[No. O-14016/157/85—GP]

का. आ. 1264.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत है कि ऐसी लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करनेका अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58बी, अलीगंज, लखनऊ-226030 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7.
					बी. वि. वि.	
बरेली	आंवला	सन्हा	देवीपुर	1	0-10-4	
				2	0-12-0	
				3	0-1-12	
				4	0-0-18	
				5	0-12-0	

[सं. 0-14016/158/85-जी.पी.]

S.O. 1264.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum fr   to Jagdishpur in Uttar Pradesh State   laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Samha	Devipur	1	0-10-4	
				2	0-12-0	
				3	0-1-12	
				4	0-0-18	
				5	0-12-0	

[No. O-14016/158/85—GP]

का.आ. 1265.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	चढ़िया		बी.वि.वि.	
			चटनपुर मुस्तकिल			
				89	0-17-10	
				90	0-5-15	
				91	0-9-0	
				[illegible]	0-6-0	
				[illegible]	0-1-0	
				[illegible]	0-1[illegible]	
				97	1-0-0	
				99	2-10-0	
				[illegible]	0-1-0	
				122	0-1-5	

1	2	3	4	5	6	7
				127	0-16-5	
				128	0-16-15	
				133	0-1-5	
				137	1-1-0	
				134	0-1-0	
				136	0-4-0	
				135	0-9-10	
				142	0-17-10	
				143	0-5-0	
				147	0-1-10	
				324	1-8-15	
				325	0-11-0	
				326	0-1-10	
				339	0-9-0	
				144	0-0-10	
				100	0-0-10	
				327	0-0-5	

[सं. O-14016/159/85-जी पी]

S.O. 1265.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Fareed-pur	Fareed-pur	Chatia Chatan-ur Mustkil	89	0-17-10	
				90	0-5-15	
				91	0-9-0	
				93	0-6-0	
				94	0-6-0	
				96	0-16-0	
				97	1-0-0	
				99	2-10-0	
				95	0-1-0	
				122	0-1-5	
				127	0-16-5	
				128	0-16-15	
				133	0-1-5	
				137	1-1-0	
				134	0-1-0	
				136	0-4-0	
				135	0-9-10	
				142	0-17-10	
				143	0-5-0	
				147	0-1-10	
				324	1-8-15	
				325	0-11-0	
				326	0-1-10	
				339	0-9-0	
				144	0-0-10	
				100	0-0-10	
				327	0-0-5	

[No. O-14016/159/85—GP]

का.आ. 1266.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	मन्हा	खेड़ा		बी.बि.बि.	
				1	0-1-16	
				10	0-18-10	
				13	0-4-16	
				14	0-9-12	
				18	0-0-16	
				19	0-0-12	
				20	0-12-16	
					0-1-14	
					0-1-5	
				23	0-9-12	
				118	0-1-15	
				119	0-1-15	
				516	0-2-10	
				522	0-7-4	
				524	0-1-12	
				525	0-0-12	
				526	1-1-0	

[सं. O-14016/160/85-जी पी]

S.O. 1266.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awala	Sargha	Kaerla	1	0-1-16	
				10	0-18-10	
				13	0-4-16	
				14	0-9-12	
				15	0-0-16	
				19	0-0-12	
				20	0-12-16	
					0-[illegible]-14	
					0-1-5	
				[illegible]3	0-9-12	
				118	0-[illegible]-13	
				119	0-[illegible]-15	
				516	0-2-10	
				522	0-7-4	
				524	0-[illegible]-12	
				525	0-0-17	
				520	1-[illegible]-0	

[No. O-14015/160/85—GP]

का आ. 1267.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ब-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 उ.प्र. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बि.बि.बि.	
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	सैदपुर	3	1-4-10	
			मुस्तकिल	4	0-19-0	
				143	0-0-15	
				160	3-7-0	
				161	0-1-10	
				162	0-3-5	
				163	0-1-10	
				164	0-11-0	
				165	0-14-15	
				167	0-9-0	
				168	0-6-0	
				1	0-0-10	

[सं. O-14016/161/85-ज.प.]

S.O. 1267.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Fareedpur	Fareedpur	Saidpur	3	1-4-10	
			Mustkil	4	0-19-0	
				143	0-0-15	
				160	3-7-0	
				161	0-1-10	
				162	0-3-5	
				163	0-1-10	
				164	0-11-0	
				165	0-14-15	
				167	0-9-0	
				168	0-6-0	
				1	0-0-10	

[No. O-14016/161/85—GP]

का.आ. 1268.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या कि विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.बि.	
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	चढ़िया चटनपुर एत माली	99	0-3-0	
				99	0-19-10	
				113	0-9-0	
				112	0-3-0	
				105	0-1-0	
				104	0-0-10	
				100	0-2-5	
				102	0-3-0	
				101	0-0-5	
				164	0-10-0	
				161	3-0-0	
				163	0-0-5	
				162	0-10-0	

[सं. ओ-14016/162/85—जी पी]

S.O. 1268.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas, Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58|B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Vill.	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Fareedpur	Fareedpur	Chalia	97	0-3-0	
			Chatan	99	0-19-10	
			pur	113	0-9-0	
			Ahut-	112	0-3-0	
			mali	105	0-1-0	
				104	0-0-10	
				100	0-2-5	
				102	0-3-0	
				101	0-0-5	
				164	0-10-0	
				161	3-0-0	
				163	0-0-5	
				162	0-10-0	

[No. O-14016/162/85—GP]

का.आ. 1269.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा बरेली-जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बा.बि.बि	
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	बरेंदा	84	0-2-12	
				85	0-4-10	

[सं. ओ-14016/163/85—जी पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 1269.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, H.B.J., Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barelly Jagdesh Pur Pipe line Project

Distt.	Tehseel	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Fareed-pur	Fareed-pur	Barenda	84	0-2-12	
				85	0-4-10	

[No. O-14016/163/85-GP]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1985

का. आ. 1270.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्यों में जी. एस. जी.-II से सी. टी. एफ. सोभासन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकर पुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी. जी. एस. में सोभासन सी. टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व ताल्लुका : मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयार
पुनासन	404/2	0	05	70
	403	0	03	00
	360	0	00	10
	402	0	00	40
	372	0	01	70
	373	0	04	40
	374	0	03	75
	393	0	01	00
	392	0	03	50
	कार्टट्रैक	0	00	50
	391	0	02	60
	390	0	04	30
	432	0	02	10
	433	0	01	75
	434	0	02	75
	90	0	01	50
	4	0	02	60
	3	0	02	25
	कार्टट्रैक	0	00	15
	68	0	05	50
	87	0	01	10
	73	0	00	15
	74	0	02	00
	कार्टट्रैक	0	00	50
	86	0	06	00
	80	0	01	00
	82	0	04	50
	81	0	01	50
	कार्टट्रैक	0	00	25

[नं. ओ-12016/31/85-ओ एन जी-डी-4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th March, 1985

S.O. 1270.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from G.G.S.-III to C.T.F. Sobhasan in Gujarat State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS II to C.T.F. Sobhasan

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
PUNASAN	404/2	0	05	70
	403	0	03	00
	360	0	00	10
	402	0	00	40
	372	0	01	70
	373	0	04	40
	374	0	03	75
	393	0	01	00
	392	0	03	50
	Cart track	0	00	50
	391	0	02	60
	390	0	04	30
	432	0	02	10
	433	0	01	75
	434	0	02	75
	90	0	01	50
	4	0	02	60
	3	0	02	25
	Cart track	0	00	15
	68	0	05	50
	87	0	01	10
	73	0	00	15
	74	0	02	00
	Cart track	0	00	50
	86	0	06	00
	80	0	01	00
	82	0	04	50
	81	0	01	50
	Cart track	0	00	25

[No. O-12016/31/85-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer,

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1985

का. आ. 1271 :—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या-1184041, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, दिनांक 1984-10-11 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस की संख्या और दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	एल-1184041 1983-05-16	मैसर्ज श्रीरंग बीड़ी लिमि., गांव डुबेक, जिला मेडक	बीड़ियां	IS : 1925—1974 बीड़ियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[संख्या सी एम डी 55 : 1184041]

ए. एस. चीमा, अपर महानिदेशक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 4th March, 1985

S.O.1271:—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. 1184041 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1984-10-11.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. & Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
1	2	3	4	5
1.	L-1184041 1983-05-16	M/s. Shrirang Bidi Ltd., Dubbak Village, Medak Dt.	Bidia	IS : 1925—1974 : Specification for Bidis (Second Revision).

[CMD/55 : 1184041]

A.S. CHEEMA, Addl. Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1985

का. आ. 1272.—यतः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपबंध के अनुसरण में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय परिषद् ने प्रोफेसर जे. एन. भादुड़ी को 30 जनवरी, 1984 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में "धारा-3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं।

"64. प्रोफेसर जे. एन. भादुड़ी
प्रिंसिपल नॉर्थ बंगाल मेडिकल
कॉलेज, डाकखाना, उत्तर बंगाल
विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।"

[संख्या वी. 11013/11/84-एम. ई. (पी.)]

चन्द्र भान, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deparment of Health)

New Delhi, the 5th March, 1985

S.O. 1272.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Professor J.N. Bhaduri has been elected by the North Bengal University Council to be a member of the Medical Council of India with effect from the 30th January, 1984;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", after serial number 63 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"64. Professor J. N. Bhaduri,
Principal North Bengal Medical College,
Post Office North Bengal University,
Darjeeling, West Bengal."

[No. V. 11013/11/84-ME(P)]
CHANDER BHAN, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1985

शुद्धि पत्र

का.आ. 1273:—भारत के राजपत्र, भाग-दो, खण्ड-तीन (ii), दिनांक 22 सितम्बर, 1984 के पृष्ठ 2876-2979 पर प्रकाशित भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3106, दिनांक 15 सितम्बर, 1984 में पृष्ठ 2876-2879 में मुद्रण संबंधी निम्नलिखित गलतियां हैं :—

(क) हिन्दी पाठ

(1) मद (i) पहली लाइन, अल्प विराम का चिह्न "ii" के बाद होना चाहिए, इसके पहले नहीं

(2) मंत्रालयों की सूची में मद 3 एक मुख्य शीर्ष होगा तथा उक्त सूची में मद 2 का उपशीर्ष (3) नहीं होगा।

[फा. सं. 25/4/81 डी-आई/एसईबी (भाग)/सीओपी]

जे.सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव पी.सी.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

(Department of Power)

New Delhi, the 6th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1273.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Energy (Department of Power) No. S.O. 3106 dated the 15th September, 1984 published at pages 2876-2879 of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 22nd September, 1984 at pages 2876—2879, following are the printing mistakes :—

English Version

(i) the word 'notiflcation' in line 2 of item (4) shall read as 'notification'.

(ii) the first word of 4th line in the list of Union Territories shall read 'Lakshadweep' and not 'Lakshadeep'.

(iii) the word 'Nagrik' appearing in line 2 of sub item (ii) of item 11 in the list of Ministries shall be deleted.

(iv) the word 'Secretalriat' appearing in item 34 shall read as 'Secretariat'.

[F. No. 25/4/81-D.I/SEB(Part)COP]

J. C. GUPTA, Jt. Secy. (PC)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 1274.—फिल्म सलाहकार बोर्ड के कार्यालय से संबंधित विनियमों के नियम 14(ख) के उपबन्धों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को, उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरों में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	न्यूज मैगजीन संख्या 32	361	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। सामान्य प्रदर्शन के लिए।
2.	,, 33	582	,,		,,
3.	,, 34	365	,,		,,
4.	,, 35	363	,,		,,
5.	,, 36	285	,,		,,
6.	,, 37	304	,,		,,
7.	,, 38	226	,,		,,
8.	,, 39	288	,,		,,
9.	,, 40	283	,,		,,
10.	,, 41	292	,,		,,
11.	,, 42	471	,,		,,
12.	,, 43	517	,,		,,
13.	न्यूज मैगजीन संख्या 44	549	,,		,,
14.	,, 45	354	,,		,,
15.	,, 46	354	,,		,,
16.	,, 47	577	,,		,,
17.	,, 48	359	,,		,,
18.	,, 49	456	,,		,,

[फाइल संख्या 315/2/84-एफ(पी)]

सुकुमार मंडल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st March, 1985

ORDER

S.O. 1274 :—In exercise of the powers vested under the provisions of Rule 14(b) of the Regulations relating to the working of the Film Advisory Board, the Central Government hereby approves films specified in column 2 of the schedule annexed hereto in all its/their languages versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length of the film (in metres)	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief synopsis, whether a scientific film or for educational purposes or a film dealing with news, current events, and documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	News Magazine No. 32	361	Films Division, Government of of India 24-Peddar Road, Bombay-400 026.	..	News and current events General release
2.	News Magazine No. 33	582	-do-		-do-
3.	News Magazine No. 34	365	-do-		-do-
4.	News Magazine No. 35	363	-do-		-do-
5.	News Magazine No. 36	285	-do-		-do-
6.	News Magazine No. 37	304	-do-		-do-
7.	News Magazine No. 38	226	-do-		-do-
8.	News Magazine No. 39.	288	-do-		-do-
9.	News Magazine No. 40	283	-do-		-do-
10.	News Magazine No. 41	292	-do-		-do-
11.	News Magazine No. 42	471	-do-		-do-
12.	News Magazine No. 43	517	-do-		-do-
13.	News Magazine No. 44	549	-do-		-do-
14.	News Magazine No. 45	354	-do-		-do-
15.	News Magazine No. 46	354	-do-		-do-
16.	News Magazine No. 47	577	-do-		-do-
17.	News Magazine No. 48	359	-do-		-do-
18.	News Magazine No. 49	456	-do-		-do-

[File No. 315/2/84-F]

SUKUMAR MANDAL, Desk Officer

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1985

का.आ. 1275.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 23-2-85 को द.पू. रेलवे कर्म पर मुकरा तथा अतकानहोर स्टेशनों के बीच 327 अप सवारी गाड़ी के भाग की दुर्घटना के परिणामस्वरूप सभी दावों का निपटारा करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, मध्य प्रदेश श्री डी.पी. पाण्डेय को तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय दुर्ग में होगा।

[सं. 85/ई(ओ)II/1/2]

ए.एन. बांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 11th March, 1985

S.O. 1275.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri D. P. Pandey, District and Session Judge, Durg, Madhya Pradesh as Adhoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the fire accident of 327 Up Passanegr Train between Musra and Jatkanhar stations on S.E. Railway on 23-2-85. His headquarters will be Durg.

[No. 85/E(O) II/1/2]

A. N. WANCHOO, Secy.
Railway Board and ex-officio Jt. Secy.
to the Government of India

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

का.आ. 1276.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 मार्च, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला रामनाथपुरम, तालुक सत्तूर में सत्तूर नगरपालिका सीमाएं और अम्मापट्टी, चत्तरापट्टी, चीना गोल्लापट्टी (सिन्ना कोलापट्टी), चिन्तापल्ली (सिंदापल्ली), कत्तलामपुरपट्टी, मेत्तामलाई, मेट्टूपट्टी (ओटैयल) ई. मुत्तुलुंगापुरम, ओटैयल, पडाण्डल और पेरिया कोलापट्टी के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/3/85-एस.एस.-I]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th March, 1985

S.O. 1276.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"The areas comprised within Sattur Municipal limits and the Revenue villages of Ammapatti, Chattra ppati, Chinn Gollappati (Sinna Kollapatty), Chintappalli (Sindapalli), Kattalampatti, Mettamalai, Mettuppatti (Ottaiyal), E. Muttulungapuram, Ottaiyal, Padandal and Periakolapatty in Sattur Taluk, Ramanathapuram District."

[No. S-38013/3/85-SS-I]

का.आ. 1277.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 मार्च 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"सिरोही जिले के निम्नलिखित क्षेत्र :—

1. आबू रोड नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र,
2. औद्योगिक क्षेत्र आबू रोड के निम्नलिखित राजस्व ग्राम :—
   (1) चन्द्रावती
   (2) सान्तपुर
   (3) कारोली
   (4) दानवाव"

[संख्या एस-38013/4/85-एस.एस.-I]

S.O. 1277.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan, namely :—

"The areas within the :—

1. Municipal limits of Abu Road,
2. Industrial Area Abu Road comprising of the following revenue villages :—
   (i) Chandrawati,
   (ii) Santpur,
   (iii) Karoli
   (iv) Danwav

   in Sirohi District."

[No. S-38013/4/85 SS-I]

का.आ. 1278.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 मार्च 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय 5 और 6) धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले

ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"श्रीगंगानगर जिले के निम्नलिखित क्षेत्र :—

1. हनुमानगढ़ नगर पालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

2. हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र,

चक 50 एन.जी.सी., 51 एन.जी.सी., चक 3 एनडब्ल्यू.एन., चक 1 के.एन.जे., पंचायत क्षेत्र खुंजा औद्योगिक क्षेत्र, चक 45 एन.जी.सी. ग्राम पंचायत सतीपुरा जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में : ग्राम रोड़ावली, जोड़ किया

दक्षिण में : हनुमानगढ़ टाउन

पूर्व में : ग्राम नवान

पश्चिम में : ग्राम मक्कासर

3. हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्र,

चक 15 एच.एम.एच., चक 17 एच.एम.एच. जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में : हनुमानगढ़ जंक्शन, ज्वालासिंह पुरा।

दक्षिण में : ग्राम कोल्हा।

पूर्व में : ग्राम अमरपुरा थेड़ी।

पश्चिम में : ग्राम नाथावली थेड़ी।"

[संख्या एस-38013/5/85/एस.एस.-I]

S.O. 1278.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan, namely :—

"The areas within the :

1. Municipal limits of Hanumangarh and

2. Areas of Hanumangarh Junction comprised by Chak 50 NGC, 51 NGC, Chak 3 NWN, Chak 1 KNJ, Panchayat Kshetra Khunja Industrial Area, Chak 45 NGC, Gram Panchayat Satipura and bounded by following :—

North : Village Rodawali, Jodkiya

South : Hanumangarh town

East : Village Nawan

West : Village Makkasar

3. The areas comprised of Hanumangarh Town Chak 15 HMH, Chak 17 HMH and bounded by following:—

North : Hanumargarh Junction, Jawalasinghpura

South : Village Kolha

East : Village Amarpura Thedi

West : Village Nathawali Thedi

in Sriganganagar District."

[No. S-38013/5/85-S.S.-I]

का.आ. 1279.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 मार्च, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला मदुराई, तालुक मेरियाकुलम में थेनी (थेनी-अल्लीनागरम), वीरापाण्डी कत्तूर, सिलियामपट्टी, उन्जामपट्टी, कुप्पामपट्टी, ताप्पुकुण्डू, ताडिचेरी कुन्नूर, पुमालक्कुण्डू, गोविन्दानगरम्, जंगालपट्टी, अण्डीपट्टी और जाक्कमपट्टी के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस.-38013/2/85-एस. एस.-1]

S.O. 1279.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th March, 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into froce) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been broght into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"The area comprised within the Revenue villages of Theni (Theni-Allinagaram) Virapandi Kattur, Silayampatti Unjampatti, Kuppampatti, Tappukundu, Tadicheri Kunnur, Pumalakkundu, Govindanagaram, Jangalpatti, Andipatti and Jakkampatti in Periyakulam Taluk, Madurai District."

[No. S-38013/2/85-SS-I]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1985

शुद्धि पत्र

का. आ. 1280 —भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में तारीख 19 नवम्बर, 1983 को प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4238, तारीख 5 नवम्बर, 1983 में पंक्ति 2 में "मुक्कादास" के लिए "मुक्कादान" पढ़ा जाय।

[एस. 35019/322/83-पी. एफ. II]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 1280.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. S.O. 4238, dated the 5th November, 1983, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th November, 1983, in line 3 for "Mukkadas" read "Mukkadan".

[No. S-35019(322)/83-PF.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1985

का. आ. 1281.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 3131 दिनांक 12 सितम्बर, 1984 द्वारा सीसा उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 सितम्बर, 1984 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 मार्च, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस.-11017/4/81-डी-1(ए) (ii)]

New Delhi, the 14th March, 1985

S.O. 1281.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 3131 dated the 12th September, 1984 the Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 24th September, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest require the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declared the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th March, 1985.

[No. S-11017/4/81-D.I(A)(ii)]

का. आ. 1282.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या 3130 दिनांक 12 सितम्बर, 1984 द्वारा जिंक उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 सितम्बर, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस.-11017/4/81डी-1(ए) (i)]

श. ह. सु. अय्यर, अवर सचिव

S.O. 1282.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 3130 dated the 12th September, 1984, the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 19th September, 1985;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th March, 1985.

[No. S-11017/4/81-D.I(A)(i)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

का. आ. 1283.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डिविजनल आफिस नार्दन रेलवे, हजरतगंज, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2 मार्च, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th March, 1985

S.O 1283.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Office, Northern Railway, Hazratganj, Lucknow, and their workmen which was received by the Central Government on the 2nd March, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 191/1983

In the Dispute between.

S. K. Misra—Workmen.

V/s.

Northern Railway Administration of Lucknow Division—Employer.

AWARD

The Central Govt. vide its order No. L-41012(14)/82-D. II(B) dated 17-5-83 referred the following dispute for adjudication :—

"Whether the action of the management in relation to their Divisional Office Northern Railway, Hazratganj, Lucknow in not stepping up the pay of Shri S. K. Mishra to the level of pay of Shri Daya Shankar, who is junior to Shri Misra is justified? If not, to what relief is Shri Misra entitled?"

The case of the workman is that he was a Senior Clerk in trains Section of the D. R. M. office, Northern Railway Lucknow. He was erroneously made junior to one Shri Daya Shankar of the same office which mistake was rectified on demand by the Union, but despite no arrears were paid. On raising the Industrial Dispute the Railway administration admitted that an administration error has taken place which was set right but refused to made a proforma fixation of Pay equal to that of Shri S. K. Misra on the basis of next below Rule. The Railway Administration appeared at the initial stage and requested for better particulars.

The workman submitted better particulars required by affidavit by 6-2-85 whereby he stated that Shri Daya Shanker was promoted as Senior Clerk w. e. f. 12-10-59.

Despite sending several notices the management did not appear to contest. But none appear for the management. Workman filed affidavit statement in proof of his case alongwith annexure I and II. The annexure I is specifically mentions as follews :—

"The representatives have represented against incorrect assignment of seniority to Shri Daya Shanker Srivastava, Clerk Train Branch and after careful consideration of the case, it has been observed that the seniority of Shri Daya Shankar Srivastava was incorrectly fixed which has now been changed. He is now assigned seniority at item No. 42A. i. e. below to Shri C. K. Pandey and above Shri G. D.Misra in the seniority list issued vide this office letter of even No. dated 18-8-75. Necessary correction at your end may be made and the staff concerned may be advised accordingly."

At the time of argument the workman representative submitted Seniority list which shows that workman whose name appeared at SL. No. 37/38 and who was senior to Shri C. K. Pandey whose name appeared at SlNo. 41/42 were both senior to Daya Shanker who was ordered to be placed below Shri C. K. Pandey at Sl. No. 42 and above Shri G. D. Misra. Thus Shri S. K. Misra could not have drawn pay lesser than Shri Daya Shankar who was made junior to him. This seniorty list was prepared in view of the Senior Divisional Personnel Officer order quoted above. According to the seniority list Shri S. K. Misra was appointed on 8-6-48 as Clerk in DRM Office Northern Railway, Lucknow in the train section and was confirmed on 2-6-54, whereas Shri Daya Shankar was appointed in grade 80—120 on 12-10-59 which later revised to Rs. 130-300/- and the workman Shri S. K. Misra was given this revised scale Rs. 130—300 as on 1-10-71. On representation it was ordered that he should be promoted in the scale from the date Shri Daya Shanker got promotion i. e. 12-10-59.

In view of the documents filed exparte by the workman and it appears that the pay of workman Shri S. K. Misra should be brought to the level of Shri Daya Shankar who is junior to workman w.e f. 12-10-59. I, therefore, give my AWARD accordingly. The workman will be entitled to get all the benefits of pay and scale from 12-10-59 as was made available to Shri Daya Shankar.

I et the 6 copies of the Award be sent for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41012(13)/82-D. II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985